हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

14 दिसम्बर, 2005

खण्ड-3, अंक-1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)11
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)28
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)36
घोषणा—	
(क) अध्यक्ष द्वारा—	(1)41
चेयरपर्सनज के नामों की सूची	(1)41
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(1)41
(ख) सचिव द्वारा—	(1)42
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1)42
वाक आउट	(1)44
सदन की मेज पर रखे/पुन: रखे गए कागज-पत्र	(1)45
विधान कार्य—	(1)47
दि हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 2005	(1)47
दि कुरूक्षत्र शराइन (रिपील) बिल, 2005	(1)48
दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2005	(1)52
वाक आउट	(1)55
दि हरियाणा पंचायती राज अमैंडमैंट बिल, 2005	(1)56
दि हरियाणा इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन बिल, 2005	(1)58

मूल्य :

MRS/CIS/9

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will make the obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के समाप्त होने के बाद और इस अधिवेशन के शुरू होने तक बहुत से गण-मान्य सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे हैं जिसमें श्री के.आर. नारायणन और दूसरे इम्पोरटैंट सदस्य हैं। उनके बारे में मैं सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री के. आर. नारायणन, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति

यह सदन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन के 9 नवम्बर, 2005 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 27 अक्तूबर, 1920 को हुआ। उन्होंने ट्रावनकोर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की तथा लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से राजनीतिशास्त्र में विशेषता के साथ बी.एस.सी. (अर्थशास्त्र) आनर्स प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने समाचार-पत्र हिन्दू, मद्रास तथा टाइम्स ऑफ इंडिया, बम्बई में एक पत्रकार के रूप में कार्य किया। इसी दौरान उन्हें गांधी जी से साक्षात्कार लेने का अवसर मिला।

वे 1949 में प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। वे विश्व के प्रमुख देशों में राजदूत रहे तथा 1976 में विदेश सचिव बने। वे 1978 से 1980 तक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति रहे। इसके उपरांत वे 1980 से 1984 तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राजदूत रहे।

वे 1984, 1989 और 1991 में तीन बार लोकसभा के लिए चुने गए तथा 1984-89 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे। वे 1992 में भारत के उप-राष्ट्रपति चुने गए तथा 1997 में भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। श्री के.आर. नारायणन बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जो केवल कठिन परिश्रम के बल पर राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे।

गहन अध्ययनशील एवं लेखनी के धनी श्री नारायणन ने कई पुस्तकें लिखीं तथा पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक, राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय एवं साहित्यिक विषयों पर नियमित रूप से लेख लिखे। देश-विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया। वे शैक्षणिक,

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

सांस्कृतिक इत्यादि अनेक संगठनों से जुड़े रहे। वे संवैधानिक सुचिता के प्रबल पक्षधर थे तथा कमजोर वर्गों के हितों के सच्चे हितैषी थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें सदैव याद रखेगा। उन्होंने अपने लम्बे तथा यशस्वी जीवन में शिक्षाविद्, पत्रकार, राजनयिक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में अमिट छाप छोड़ी।

उनके निधन से देश एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, अनुभवी राजनयिक, दूरदर्शी राजनेता, कुशल प्रशासक एवं एक विशिष्ट सासंद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री शिव राम वर्मा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री शिव राम वर्मा के 21 नवम्बर, 2005 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 अप्रैल, 1917 को हुआ। वे 1967, 1972 और 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1982 तक मंत्री रहे। वे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जोगेन्द्र सिंह, हरियाणा के भूतपूंव राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भतपूर्व राज्य मंत्री श्री जोगेन्द्र सिंह के 16 अगस्त 2005, को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 जून, 1940 को हुआ। वे 1968, 1972 और 1991 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए। वे 1991 से 1996 तक राज्य मंत्री रहे। उनकी कुश्ती के प्रति गहरी रुचि थी और वे स्वयं भी अच्छे पहलवान थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री गोपी चंद गुप्ता, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोपी चन्द गुप्ता के 11 दिसम्बर, 2005 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल गए। वे 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट

करता है।

ऑनरेरी कैप्टन उमराव सिंह, विक्टोरिया क्रॉस विजेता

यह सदन विक्टोरिया क्रॉस विजेता ऑनरेरी कैप्टन उमराव सिंह के 21 नवम्बर, 2005 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

वे द्वितीय विश्व युद्ध के वीर नायक थे। वे 10 जनवरी, 1938 को भारतीय तोपखाने की 22वीं रेजिमेंट में भर्ती हुए। उन्होंने दिसम्बर, 1944 में बर्मा क्षेत्र में अकेले ही एक जबरदस्त जापानी हमले को नाकाम किया। उन्हें बाद में अपनी तोप के पास असहाय अवस्था में पाया गया। उनके शरीर पर सात गहरे घाव थे तथा उन्हें पहचाना नहीं जा रहा था। उनके इर्द गिर्द दस जापानियों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन्होंने शानदार वीरता, शौर्य और कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। इस बहादुरी के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, उनकी याद में उनके गांव पलड़ा में 27 तारीख को स्पेशल भर्ती की जा रही है।

उनके निधन से देश एक वीर सैनिक तथा हरियाणा एक महान् सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वे एक-एक करके हमारे को छोड़कर जा रहे हैं।

इन महान् स्वन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री गणपत राय शर्मा, गांव हुमायुंपुर, जिला सोनीपत।
2. श्री प्रभुदयाल, गांव मुमताजपुर, जिला रेवाड़ी।
3. श्री मांगे राम, गांव सुनारियां कलां, जिला रोहतक।
4. श्री जयसिंह, गांव ढिगाना, जिला जींद।
5. श्री बख्तावर सिंह, गांव लहराड़ा, जिला सोनीपत।
6. श्री केहर सिंह, गांव जमालपुर, जिला गुड़गांव।
7. श्री राम सिंह, गांव लालहेड़ी खुर्द, जिला सोनीपत।
8. श्री मुंशी राम, गांव बरौदा, जिला सोनीपत।
9. श्री केहरी सिंह, गांव भापड़ौदा जिला झज्जर।
10. श्री दाना राम, गांव बिचपड़ी, जिला हिसार।
11. श्री जागे राम, गांव गढ़ी सांपला, जिला रोहतक।
12. श्री उमराव, गांव हुमायुंपुर, जिला झज्जर।
13. श्री जागे राम, गांव मातनहेल, जिला झज्जर।
14. श्री सुखराम लाखलाण, गांव सुरपुरा, जिला भिवानी।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

15. डॉ० फतेहचन्द, फरीदाबाद।
16. श्री चमनलाल पुनियानी, अम्बाला।
17. श्री उदय सिंह, गांव किला जफरगढ़, जिला जींद।
18. श्रीमती धीरां देवी, असन्ध, जिला करनाल।
19. श्री रामस्वरूप, गांव किष्किंधा, जिला भिवानी।
20. श्री भगवान सिंह, गांव झाबरी, जिला भिवानी।
21. श्री अजीत सिंह, गांव हड़ौदी, जिला भिवानी।
22. श्री रती राम, गांव गढ़ी, जिला हिसार।
23. श्री बनारसी दास, महम, जिला रोहतक।
24. श्री जीवन दास, गांव काहनौर, जिला रोहतक।
25. श्री हरदत्त सिंह, गांव स्याहड़बा, जिला हिसार।
26. श्री पूरण सिंह, गांव फरीदपुर, जिला फरीदाबाद।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीरों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. लैफ्टिनेंट कमांडर ओंकार सिंह, शांति नगर पानीपत।
2. कैप्टन महेन्द्र सिंह, गांव कासनी कलां, जिला भिवानी।
3. लैफ्टिनेंट समित, गांव बादली, जिला झज्जर।
4. सुबेदार सुरेन्द्र सिंह, गांव नौरंगाबाद, जिला भिवानी।
5. सुबेदार सत्यनारायण मोर, गांव बरौदा, जिला सोनीपत।
6. सुबेदार जगदीश चन्द्र, गांव गोसाईं खेड़ा, जिला जींद॥
7. सहायक उप-निरीक्षक अजीत सिंह, गांव गोकलगढ़, जिला रेवाड़ी।
8. नायक रिसालसिंह, गांव दूलोठ, जिला महेन्द्रगढ़।
9. नायक खड़क सिंह, गांव मीरपुर कौराली, जिला फरीदाबाद।
10. हवलदार राजवीर, गांव केलंगा, जिला भिवानी।
11. हवलदार गिन्द्र सिंह, गांव केलंगा, जिला भिवानी।
12. हवलदार राजेन्द्र सिंह, गांव ढाणी कोलाणा, जिला रेवाड़ी।
13. हवलदार रशीद अहमद, गांव सिरौली, जिला गुड़गांव।
14. हवलदार कर्ण सिंह, गांव मानकावास, जिला भिवानी।

15. हवलदार सतबीर सिंह यादव, गांव नोताना, जिला महेन्द्रगढ़।
16. हवलदार सुभाष चन्द्र, गांव गुलियाना, जिला कैथल।
17. हवलदार बिजेन्द्र सिंह, गांव लाढ़ौत, जिला रोहतक।
18. लांस नायक हरजिन्द्र सिंह, गांव तेपला, जिला अम्बाला।
19. लांस नायक राम किशन, गांव भामड़िया आसनपुर, जिला रेवाड़ी।
20. लांस नायक यशपाल, गांव रोहणा, जिला सोनीपत।
21. सिपाही महेन्द्र सिंह, गांव ढाणी जोरावत, जिला रेवाड़ी।
22. सिपाही नरेश कुमार, गांव नौरंगाबाद, जिला भिवानी।
23. सिपाही धर्म सिंह, गांव निमड़ी, जिला भिवानी।
24. सिपाही बिजेन्द्र यादव, गांव निमोठ, जिला रेवाड़ी।
25. सिपाही बलदेव सिंह, गांव फर्कपुर, जिला यमुनानगर।
26. सिपाही संदीप धनखड़, गांव अलियर ढाणा, जिला गुड़गांव।
27. सिपाही प्रदीप कुमार, गांव भानकपुर लालहाड़ी, जिला यमुनानगर।
28. सिपाही प्रदीप, गांव अलेवा, जिला जींद।
29. सिपाही मुकेश, गांव बीरण, जिला भिवानी।
30. सिपाही राम कुमार, फतेहाबाद।
31. सिपाही बिजेन्द्र सिंह, गांव बलियाली, जिला भिवानी।
32. सिपाही जय प्रकाश, गांव लडावन, जिला झज्जर।
33. सिपाही राजेन्द्र सिंह, गांव रंधावा, जिला सिरसा।
34. सिपाही सुरेश, गांव बिसान, जिला झज्जर।
35. सिपाही सुखबीर, गांव सीसर, जिला रोहतक।
36. सिपाही वीरेन्द्र पाल, जगाधरी, जिला यमुनानगर।
37. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव खेड़ी शेरखां, जिला कैथल।
38. सिपाही करतार, गांव बोसवाल, जिला फतेहाबाद।
39. सिपाही राजकुमार, गांव निलौठी, जिला झज्जर।
40. सिपाही प्रवीण कुमार, गांव खुडाना, जिला महेन्द्रगढ़।
41. सिपाही सुरजीत सिंह, बराड़ा, जिला अम्बाला।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

भीषण भूकम्प

यह सदन 8 अक्तूबर, 2005 को जम्मू-कश्मीर तथा पाकिस्तान में आए भीषण भूकम्प में मारे गए हजारों लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस भूकम्प से हुई क्षति अकल्पनीय है। इस भूकम्प से लोगों पर जो कहर बरपा, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है और भूकम्प-पीड़ितों के शीघ्र पुनर्वास की कामना करता है।

दिल्ली बम विस्फोट त्रासदी

यह सदन 29 अक्तूबर, 2005 को दिल्ली में हुए बम विस्फोटों में मारे गए मासूमों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन ऐसी जघन्य घटना की घोर निन्दा करता है तथा दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री फूलचंद मुलाना की माता, श्रीमती नत्थी देवी और धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी; हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री आजाद मोहम्मद के चचेरे भाई, श्री इस्लाम; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री धर्मवीर सिंह की माता, श्रीमती फुलपति; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री निर्मल सिंह के भांजे, श्री विक्रम सिंह; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री धर्मबीर गाबा के भाई लैफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश गाबा; हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री परमवीर सिंह के भाई, श्री हरमीत सिंह तथा हरियाणा के वित्त मंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह के साले के बेटे, श्री अर्जुन के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा (एस०सी० ऐलनाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से और पार्टी के नेता चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से इन सभी दिवंगत आत्माओं के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जो एक आम आदमी से अपनी मेहनत और काबलियत के दम पर भारतवर्ष के प्रथम पुरुष के पद पर पहुंचे के प्रति शोक प्रकट करता हूँ। जब मैं सांसद था उस समय वे भारत के राष्ट्रपति थे। मुझे उनसे मिलने का कई बार मौका मिला। उनकी जो कार्यशैली थी उसे देखकर लगता था कि ऐसे लोग चाहे सामाजिक स्तर पर और चाहे राजनैतिक स्तर पर हों वे देश की सेवा करें। उन्होंने हर बार अपने हक की बात कही। इस बारे में हमें कई उदहारण उनके देखने को मिल सकते हैं। माननीय श्री के.आर. नारायणन को अगर कोई बात देश के प्रति सही नहीं लगी तो उन्होंने उस बात का विरोध किया। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने उस बात का विरोध किया और उस बात को सही ढंग से अपनाने के लिए कहा। ऐसे लोग अगर दुनिया से चले जायें तो उनका अभाव जरूर खलता है। श्री के.आर. नारायणन जी लोकसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने सदन की गरिमा को बनाये रखा। यह हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं तो हमें उनके आचरण पर चलते हुए हमें सदन की गरिमा और मर्यादा को अपनाना चाहिए।

इसी प्रकार से इस सत्र और पिछले सत्र के बीच में से हमारे कई साथी जिन्होंने राजनीतिक रूप से सेवा की और सदन के भीतर उनका अच्छा प्रभाव रहा वे भी हमारे से बिछुड़ कर चले गए हैं। श्री शिवराम वर्मा जो हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री रहे, हालांकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता लेकिन उनकी बातें लोगों से सुनते हैं कि वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी सूझबूझ राजनीति के

धनी व्यक्ति थे। उनके निधन पर मैं अपनी पार्टी और अपनी तरफ से गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। श्री जोगेन्द्र सिंह जो भूतपूर्व राज्य मंत्री थे, और श्री गोपीचन्द गुप्ता के निधन पर शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय कैप्टन उमराव सिंह जी जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे, ने अपने जख्मों की परवाह न करते हुए भी देश के प्रति इतना काम किया, उनके निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश की आजादी के स्वतन्त्रता संग्राम में कूदे और अपने प्राणों की आहुति की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने देश को आजाद करवाने का काम किया और वे आज हमारे बीच नहीं रहे। जो 26 नाम दिए गए हैं मैं उनके निधन पर इनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। हरियाणा के शहीद जिन्होंने हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की बलि दी उनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। जो 8.10.2005 को भीषण भूकम्प आया था, वह पाकिस्तान में भी आया था। पाकिस्तान से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, चाहे हमारी सीमाएं बंटी हुई हैं लेकिन आज भी हमारे वहां के लोगों से दिलों के रिश्ते हैं। भूकम्प त्रासदी में वहां के लोग मरे हैं, जम्मू कश्मीर में भी भूकम्प से लोग मरे हैं, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। एक हादसा दिल्ली में हुआ, दीवाली का त्योहार जो खुशियों का त्योहार होता है इस त्योहार से थोड़ा पहले ही जहां हम खुशियां मनाने जा रहे थे वहीं इस देश को उजाड़ने के लिये असामाजिक तत्वों ने एक बम विस्फोट किया जिसमें काफी बेकसूर लोग मारे गए, उनके परिवारों के प्रति मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। इसके साथ-साथ हमारे मंत्री साथी श्री फूलचंद मुलाना जी को थोड़े से अर्से में ही दो असामयिक वेदनाएं झेलनी पड़ीं। पहले तो उनकी धर्म पत्नी का निधन हुआ फिर थोड़े ही समय में 4-6 महीने के अंतराल में उनकी माता का भी निधन हो गया। मंत्री जी तो बहादुर व्यक्ति हैं। परमात्मा ने जो कर दिया सो कर दिया उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। मुझे उनकी धर्मपत्नी और माता के निधन पर गहरा दु:ख है। मैंने इनसे दो तीन बार सम्पर्क साधने की कोशिश की, मैं इनके घर भी गया और इनके दफ्तर में भी गया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे दिल में इस बात का मलाल रहा कि मैं उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिल सका मंत्री जी आज बैठे हैं और मैं अपना वह मलाल आज प्रकट करता हूँ। मैं इनके परिवार के प्रति हार्दिक दु:ख और गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं कल जब सैशन के लिए आ रहा था, मुझे किसी ने बताया कि धर्मवीर सिंह जी की माता जी गुजर गई हैं। धर्मवीर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है। उनकी माता और हमारी माता में कोई फर्क नहीं है, मैं स्वयं इनके घर जाकर शोक संतप्त परिवार में शामिल होना चाहता था लेकिन हमें कई बार जानकारी नहीं हो पाती और हम ऐसे मौकों पर नहीं जा सकते। मुझे इस बात का मलाल रहा कि मैं इनके घर नहीं जा पाया। आज धर्मवीर जी बैठे हैं मैं दिल से इनकी माता के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मां से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मां के साथ बेटा क्षणिक भी बात कर ले तो पता नहीं मां का कितना आशीर्वाद मिल जाता है। मुझे दु:ख है कि मेरे साथी भाई धर्मवीर जी अब मां के आशीर्वाद से महरूम हो गए। विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री आजाद मोहम्मद जी के चचेरे भाई श्री इस्लाम के निधन पर भी मैं गहरा दु:ख प्रकट करता हूँ। निर्मल सिंह जी जो हमारे विधान सभा के सदस्य हैं, के भांजे श्री विक्रम सिंह के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हमारे किसी भी साथी के साथ कोई दु:खद घटना हो जाए तो हमारा सामाजिक, स्वाभाविक और व्यावहारिक फर्ज बनता है कि हम उनके दु:ख में शामिल हों। धर्मवीर गाबा जी, जो इस महान सदन के सदस्य हैं उनके भाई सेवानिवृत लैफ्टिनैंट कर्नल श्री वेदप्रकाश गाबा के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं परमवीर सिंह के भाई

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

श्री हरमीत सिंह के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूँ। ये मेरी पार्लियामैंट्री कंस्टीच्युंसी टोहाना से हैं, मेरा उनसे अच्छा रिश्ता रहा है। मैं जब सांसद था, तो टोहाना मेरी पार्लियामैंट्री कंस्टीच्युंसी में था। मेरा उनसे मिलना-जुलना था। वे समाज सेवक के तौर पर जाने जाते थे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के साले के बेटे श्री अर्जुन सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिनका पिछले सत्र से इस सत्र के बीच निधन हुआ है जो हमारी जानकारी में नहीं है, कहीं न कहीं हमारे परिवार से जुड़े हैं और सदन के साथियों से जुड़े हैं, मैं उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। हमारे पूर्व मंत्री श्री एम.एल. रंगा के पिता के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर इस देश की सेवा करते रहे हैं।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव यहां आए हैं उन सबके परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और शोक प्रकट करता हूँ। वैसे तो जो आदमी इस धरती पर आता है उसे जाना ही होता है, उसी हिसाब से ही ये सब गए हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद मरते दम तक देश की सेवा करते रहे और देश के प्रति समर्पित रहते हैं। श्री के.आर. नारायणन देश के ऐसे ही महन सपूत थे जिन्होंने 36 बिरादरी के गरीब लोगों की बहुत ज्यादा सेवा की तथा समाज के प्रति समर्पित रहे। उनके लिए मैं सबसे ज्यादा शोक प्रकट करता हूँ और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, बदमाशियां भी करता है, शैतानियां भी करता है और करप्शन भी करता है लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो देश और समाज के लिये काम करते हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश और समाज के प्रति निर्लिप्त भाव से काम किया और देश की सेवा में अपने प्राणों की कुर्बानी भी दी ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों ने देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम किया। विशेषकर हरियाणा के शहीदों को मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करते हुए उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि इन शोक प्रस्तावों में एक नाम छूट गया है और मैं यह निवेदन करता हूँ कि यह नाम भी इन प्रस्तावों की सूची में जोड़ लिया जाए। हमारे इस सदन के पुराने सदस्य श्री सीता राम जी सिंगला का नौजवान बेटा गुजर गया है मैं चाहता हूँ कि उनका नाम भी इन शोक प्रस्तावों की सूची में जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, जितने लोगों के नाम इन शोक प्रस्तावों में शामिल हैं उन सभी के परिवारों के प्रति मैं हार्दिक संवेदना तथा गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

श्री नरेश कुमार यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज जो शोक प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। आदरणीय श्री के.आर. नारायणन हिन्दुस्तान के गरीब, कमजोर और बैकवर्ड लोगों के मसीहा थे और जीवनपर्यन्त वे इन लोगों की सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने राष्ट्रपति के गरिमामय पद पर पहुंच कर सच्चाई, जनकल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए। उन्होंने कभी भी किसी भी कदम पर रुकने की कोशिश नहीं की। हमारे प्रदेश में पानी की समस्या के मामले पर हम लोग श्री के.आर. नारायणन के ऑफिस में पैदल मार्च करके पहुंचे थे उनसे मिलने पर हमने यह जाना कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के मामले वे कितने सीरियस और चिन्तित थे और वे ये चाहते थे कि सारे देश में सभी जगहों पर पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दु:ख का विषय है कि आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। उनके परिवार के प्रति मैं गहरा शोक तथा संवेदना प्रकट करता हूँ। इन शोक प्रस्तावों में जितने भी लोगों के नाम शामिल हैं मैं अपनी ओर से उनके परिवारों के प्रति हार्दिक शोक प्रकट करता हूँ। मातृभूमि की रक्षा के लिए जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति भी मैं

गहरी अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ विशेषकर हरियाणा प्रदेश के चारों कोनों से हम सुनते रहे हैं कि हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। ऐनसिलरी कार्यवाही में पहाड़ियों से खबर आ जाती है कि हमारे जवान अपनी छाती पर गोली खाकर शहीद हो गये हैं। उन सभी जवानों के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और जितने भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं उन सभी के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आदरणीय फूल चन्द मुलाना जी के साथ जबरदस्त हादसा हुआ उन्हें असहनीय क्षति को सहन करना पड़ा। उस वक्त विधानसभा सैशन चल रहा था और इनका एक पैर विधान सभा के अन्दर रहता था और दूसरा पैर होस्पिटल के अन्दर रहता था क्योंकि उस वक्त उन पर अपनी बीमार पत्नी को सम्भालने की जिम्मेदारी थी। उस वक्त उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा और बड़ी हिम्मत से इन्होंने उसका मुकाबला किया। बहुत दु:ख की बात है कि इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और इसके साथ ही माता जी का जाना। उस दु:ख और मुसीबत की घड़ी में इन्होंने बड़ी हिम्मत से उसका सामना किया। मैं इनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। श्री जोगिन्द्र सिंह जोग को मैं पर्सनली जानता था उनके साथ मुझे हिसार में रहने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के उपाध्यक्ष जी के चचेरे भाई श्री इस्लाम, हमारे सदन के एक दूसरे सदस्य श्री परमवीर सिंह जी के भाई श्री हरमीत सिंह, विधायक श्री निर्मल सिंह के भांजे श्री विक्रम सिंह तथा चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के साले के बेटे श्री अर्जुन का देहान्त हो गया है इस बारे में हमें परसों ही पता चला था। चौधरी धर्मबीर सिंह जी, जो हमारे भाई हैं, उनकी माता श्रीमती फुलपति जी का देहान्त हो गया है इसके बारे में हमें आज ही पता चला है। मैं इन सभी साथियों के दु:ख में स्वयं को शामिल करता हूँ और इनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। आज के इस सत्र से पिछले सत्र के दौरान जो हादसा हुआ और सदन के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है उन सबके लिए मैं तहेदिल से हार्दिक शोक प्रकट करता हूँ और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि वह इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिवारों को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं मैं हृदय से उनका समर्थन करता हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जो देश के सबसे दबे हुए तथा गरीब परिवार में पैदा हुए अपनी मेहनत से उन्होंने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करके उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि राष्ट्रपति केवल रबड़ स्टैम्प नहीं होता। अपनी काबलियत के आधार पर उन्होंने इस देश के अन्दर राष्ट्रपति के पद को नई दिशा दी। इस वर्तमान सत्र तथा पिछले सत्र के दौरान वे हमसे विदा हो गये।

मैं अपनी ओर से और प्रान्त के सारे दलित समाज की ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। इसी तरह से श्री शिव राम वर्मा और श्री जोगेन्द्र सिंह दोनों ही हमारे साथ सदन के सदस्य रहे हैं। वे बहुत सूझबूझ वाले सदस्य रहे हैं। उन्होंने इस प्रान्त की सच्चे मन से सेवा की है। स्पीकर सर, हमारे बीच में से बहुत से स्वतन्त्रता सेनानी भी चले गए हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेलों में अपनी आधी जवानी काटी है। उन्होंने अपने बलिदान के बदले में देश से कभी कुछ नहीं मांगा है। श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी ने उनके परिवारों को पेंशन देने का काम किया था। हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं और उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इसी तरह से हमारे बीच में से बहुत से सैनिक मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गए हैं। हमारे तेपला और लालहाड़ी तथा प्रदेश की कई अन्य जगहों के सिपाही भी शहीद हो गए हैं। हमारा भी

[श्री फूल चन्द मुलाना]

फर्ज बनता है कि उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। स्पीकर सर, हमारे देश में पिछले दिनों बहुत बड़ा भूकम्प आया था, उसमें हमारे बहुत से लोग, महिलाएं और बच्चे हताहत हुए थे। अध्यक्ष महोदय, कुदरत की शक्ति के आगे किसी की नहीं चल सकती है। मानव धर्म है कि उन सभी की मदद की जाए। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने, सभी मंत्रियों ने और हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन लोगों के लिए सहायता भेजी है। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति चला गया है वह वापिस तो नहीं आ सकता है। हम उन मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। स्पीकर सर, अभी पिछली रात में और आज दोपहर को भी चण्डीगढ़ में भूकम्प के हल्के-हल्के झटके आए हैं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा से ऐसा प्राकृतिक प्रकोप न दिखाए।

इसी तरह से दिल्ली में बम विस्फोट हुए और उसमें कई लोग मारे गए थे। यह काम इन्सानियत से जुड़े लोगों का नहीं है। वहां पर जिन निहत्थे लोगों पर अत्याचार हुआ है हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

भाई धर्मबीर गाबा, हमारे विधायक, डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद और हमारे पुराने साथी सरदार हरपाल सिंह तथा धर्मबीर इन सबके साथ भी हादसे हुए हैं। मैं इन सभी के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं सदन का और मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी आभारी हूँ कि इन शोक प्रस्तावों में मेरी माताश्री और पत्नी का नाम भी जोड़ा गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इन शब्दों के साथ इन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे पुराने मंत्री श्री सीता राम जी सिंगला जी के लड़के का नाम जोड़ने के लिए जो रामकुमार गौतम जी ने कहा है तो उनका नाम भी इन शोक प्रस्तावों में जोड़ लिया जाये। इसके अलावा भूतपूर्व विधायक डॉ० एस.एल. रंगा के पिता जी का नाम जिसके बारे में श्री इन्दौरा जी ने कहा है, को भी इन शोक प्रस्तावों में जोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। Hon'ble Members, I associate myself with the feelings of sorrow at the sad demise of great personalities who have left us during the intervening period of the last session and about whom references have been made in the House. Shri K.K. Narayanan was the first Dalit President of India. Prior to joining politics, he was a career diplomat. He was elected to the Parliament thrice and became Vice-President in 1992 and adorned the highest office of the President in 1997. He served in the Cabinet of Late Shri Rajiv Gandhi. He had a distinguished career in Foreign Services too. He emerged as one of the outstanding personalities of our country. Shri Shiv Ram Verma was a Minister of our State, who elected to the Vidhan Sabha thrice in 1967, 1972 and 1977. He was a seasoned legislator. He held various offices in various organizations of our State. Likewise, Ch. Joginder Singh was also a Minister of our State. He was elected to the Vidhan Sabha thrice in 1968, 1972 and 1991. He was a good wrestler. Shri Gopi Chand Gupta was a former Member of Joint Punjab Legislative Assembly. He was a Freedom Fighter, who took active part in the freedom struggle and was imprisoned. Honorary Capt. Umrao Singh was winner of Victoria Cross, who fought in World War-II. By his personal example and magnificent braver, he set a supreme example of gallantry and devotion to duty. For this act of gallantry,

he was honoured with Victoria Cross. Besides, I also pay my homage to the Freedom Fighters and martyrs who left us. We can not forget their patriotic services. In addition, I pay my homage to the sufferers of devasting Earth-quake that shock Asian sub-Continent and also the sufferers of the Bomb Tragedy that took place in Delhi just before Diwali and Id festival this year. I also pay my homage to other departed souls who have left us and about whom a mention has been made in the resolution. I will convey the deep sympathies of this house to the bereaved families. Now, I would request you to stand and observe silence for two minutes as mark of respect to the memory of departed souls.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहिबान अब सवाल होंगे।

Making an Amendment in the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2000

@Shri Karan Singh Dalal

Shri Ram Kumar Gautam : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to bring a Legislation for amending the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2000 to add the words 'Self Acquired' in addition to ancestral in section (a) of the said Act ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No Sir.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो सवाल मैंने दिया है ? यह जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है। एक व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के रूल के तहत अगर कोई बाप अपनी प्रापर्टी, अपनी जायदाद अपने बेटे, अपनी बेटी या अपने भाई को देना चाहता था तो दे दिया करता था और उसमें जो स्टांप ड्यूटी लगा करती थी उनसे छुटकारा मिल जाता था लेकिन पिछले दिनों हाईकोर्ट की किसी जजमेंट की वजह से या मुझे पता नहीं किस वजह से वह व्यवस्था बंद कर दी गई है। पिछली सरकार जाते-जाते इसमें एक अमैंडमैंट लाई, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वर्ष 2000 में जो अमैंडमैंट लाई गई उसे पढ़कर मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि यह बहुत ही इम्पोर्टैंट है इसमें लिखा है :—

> "If the release is made of ancestral property in favour of brother or sister (children of renouncer's parents) or son or daughter or father or mother or spouse or grand children or nephew or niece or co-partener of renouncer.

उनके लिए पिछली सरकार ने व्यवस्था की कि ऐनसैस्ट्रल प्रापर्टी को जो पुरखों की जायदाद है उसे 15 रुपये की स्टाम्प पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें मेरा सवाल यह था कि क्या सरकार इस इंडियन स्टांप एक्ट 1899 में कोई नयी अमैंडमैंट लेकर आएगी कि एनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रॉपर्टी को भी इसमें जोड़ दिया जाए। अगर कोई बाप जमीन खरीदता है या प्लाट खरीदता है तो उसको यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे, बेटी को दे, इससे झगड़े खत्म होंगे।

@ Put by Sh. Karan Singh Dalal.

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, दलाल साहब।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात सदन में रखी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 2002 से पूर्व अंडर आर्टिकल 55 शैड्यूल 1-ए ऑफ इंडियन स्टांप एक्ट 1899 में यह था कि एक्ट में कोई रिलीज डीड जो थी वह किसी भी व्यक्ति को बजाय इसके कि केवल ऐनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी के किसी व्यक्ति को या जो उनका को-ऑनर या को-शेयरर हो जाया करता था, इस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। लोग केवल 15 रुपये के स्टांप पेपर पर रिलीज डीड करवाते थे। जो कंविंस डीड का प्रावधान था, उससे बचने के लिए लोग केवल 15 रुपये के स्टांप पेपर पर रिलीज डीड करवाते थे जिससे स्टेट एक्सचैकर को काफी नुकसान हो रहा था, उस चीज को प्लग करने के लिए यह जो प्रोविजन लाया गया है, वह सही प्रोविजन है। मैं समझता हूँ कि यह जो ऐनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रावधान रखा गया है वह इसलिये रखा गया है कि अगर सैल्फ ऐक्वायर्ड तरीके से करने लगेंगे तो इसका बड़ा भारी दुरुपयोग होगा और कोई भी व्यक्ति या प्रॉपर्टी डीलर्स भी इस तरीके से दुरुपयोग कर सकता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि सैल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इससे दूर ही रखा जाये नहीं तो जो पोता है उसके लिए भी वह प्रॉपर्टी ऐन्सैस्ट्रल हो जाएगी After some time it will also become ancestral property. मेरा कहना यह है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैल्फ ऐक्वायर्ड वाली बात नहीं है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, यह जो रिलीज डीड थे, ये मोटे तौर पर इस अमैंडमैंट के बाद लगभग खत्म हो गए, फर्ज करो कि एक बाप की डैथ हो गई तो उसकी बहन भाई हैं और बहन ने आकर ऐनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसकी रिलीज डीड करवा ली। उसके बाद फर्ज करो बहन ने भाई को वह प्रॉपर्टी देनी है या ऐक्सचेंज करनी है या प्रॉपर्टी बाप ने बेटी को देनी है तो फिर वे कहते हैं कि इसमें तो कोर्ट की डिक्री हो चुकी है कोर्ट बीच में आ चुकी है इसलिए ऐनसैस्ट्रल तो खत्म हो चुकी है। बहन ने भाई के नाम जमीन करनी है तो यह कहते हैं कि कुछ भी नहीं रहा यह तो निरा फ्राड हो गया है। रिलीज डीड मोटे तौर पर समाप्त हो चुकी है। एनसैस्ट्रल जो वर्ड है एक भाई को दूसरे भाई के नाम प्रॉपर्टी करवानी है और वह भी उस जमीन की रजिस्ट्री करावे तो इससे ज्यादा जुल्म की बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तो यह कहता हूँ कि वर्ष 2000 में इस एक्ट में जो एमेंडमेंट की गई है मेरे ख्याल से यह चौटाला साहब की रिजीम में हुआ होगा इस प्रकार की गड़बड़ के काम वे ही कर सकते हैं इसको आप ठीक करायें। मैंने अपने भाई को कहा कि 4 कनाल जमीन मेरे नाम करवा दे। ऐनसैस्टरल प्रॉपर्टी के बारे में तहसीलदार कहता है कि यह मैं नहीं कर सकता (विघ्न)।

Mr. Speaker : The Hon'ble Minister has understood your question. Donot put the story. आप अपना सवाल पूछिये कहानी मत बनाइये। Gautam ji please take your seat.

श्री राम कुमार गौतम : सर, मैं अपना सवाल ही कर रहा हूँ।

Mr. Speaker : Gautam ji please take your seat.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐनसैस्ट्रल जमीन पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई उस जमीन की डिक्री करा लेता है तो उसके बाद ही उस जमीन को किसी के नाम करने में दिक्कत आती है। लेकिन एनसैस्ट्रल जमीन पर कोई रोक नहीं है। वह जमीन रिलीज डीड हो जाती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है इस प्रकार की कोई बात नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास आई है।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर साहब.....

Mr. Speaker : Gautam Ji please take your seat.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जब इस बिल को लेकर आई थी और उस समय जब यह एक्ट बनाया गया था तब भी उस समय के मंत्री जी को मैंने कहा था कि हमें इस बारे में कोई एतराज नहीं है लेकिन स्टेट का रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब कोई आदमी अपने जीवन काल में जमीन खरीदता है तो उसको कहा जाता है कि उसको दूसरे के नाम नहीं किया जा सकता, उसकी मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति के नाम की जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए भी ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि उस आदमी के जीते जी ही वह जमीन दूसरे के नाम की जायेगी। इससे कोई रेवेन्यू कम नहीं होता। पिछली सरकार के समय जब यह एक्ट बना उसकी कापी मेरे पास है। उस समय भी मैंने उस समय के रेवेन्यू मंत्री चौधरी धीरपाल जी को कहा था उस समय जो ये बिल लेकर आये थे उसके आब्जैक्ट्स एण्ड रिजन्स में यह लिखा हुआ था "It has been observed that the existing provision under Article 5 5 of Schedule 1A of the Indian Stamp Act, 1899 regarding 'Release Deed' is being misused by Co-owners. Co-shares etc. for renouncing their interest, share, part or claim in favour of another co-owner..." सर, सरकार से मेरा केवल एक निवेदन है कि सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए इस बिल में एक अमेंडमेंट कर देनी चाहिए।

Mr. Speaker : Thank you. ठीक है। The Minister has understood the question.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, उसमें कोई रेवेन्यू का नुकसान न हो लेकिन एक बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे सकता है।

Mr. Speaker : Karan Singh Dalal Ji, please take your seat.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको हम एग्जामिन करा लेंगे और उसके बाद कोई कार्यवाही कर ली जाएगी लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, सवाल बहुत ही सिम्पल था लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको कम्पलीकेट कर दिया। सैल्फ ऐक्वायर्ड को रिफाईन किया जा सकता है। सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऐनसैस्टरल के अन्दर इन्कलूड की जा सकती है। ऐनसैस्टरल प्रॉपर्टी की इनकम से अगर कोई सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उसको उसमें शामिल किया जा सकता है। It should be considered as ancesrtal property. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये ऐनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी की इनकम से अगर सैल्फ ऐक्वायर्ड प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके एनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी मानेंगे या नहीं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो विचार रखे हैं उनको सरकार एग्जामिन करा लेगी और उसके बाद यथोचित फैसला कर लिया जाएगा।

———

Setting-up of Sub-station in Gohana Tehsil

***125. Shri Dharampal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to

[Sh. Dharampal Singh Malik]

state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up more 33/66 KV Sub-stations in Gohana Tehsil to provide regular supply of electricity; if so, the details thereof?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : The proposals to set up a new 132 KV Sub-station at village Mundlana, 33 KV Sub-stations at village Bali Brahman and Khanpur Khurd in Gohana Tehsil are being examined for technical viability.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में जो वायरिंग हुई है वह तकरीबन 35-40 साल पहले की हुई हुई है और उसकी वजह से बहुत से लाईन लोसिज हैं और इसी कारण बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 700 करोड़ रुपये की राजीव गांधी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन की योजना है, उसमें क्या इन पुरानी तारों को रिप्लेस करने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है क्योंकि हर गांव में इस प्रकार की शिकायतें हैं कि पुरानी तारें टूट जाती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं, क्या इस किस्म का कोई विचार है कि सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर की रिमांडलिंग की जाए। जो बहुत पुराने कंडैक्टर्ज हैं उनको रिप्लेस करने के बारे में क्या सरकार सोच रही है ताकि लाइन लोसिज कम हों और ट्रिपिंग जो होती है वह भी कम हो सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो बात रखी है मैं इनको बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन की जो योजना है उस योजना में पहले हरियाणा को नहीं लिया गया था क्योंकि हमारी स्टेट में पूरा इलैक्ट्रीफिकेशन था और यह योजना उन स्टेट्स के लिए थी जहां इलैक्ट्रीसिटी पहुंची नहीं थी, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और बोर्ड के सदस्यों ने सैंटर में बातचीत करके हरियाणा को इस परियोजना में शामिल करवाया, बहुत कोशिश करके 700 करोड़ रुपये इस योजना के तहत हरियाणा के लिए मंजूर करवाये गए हैं। जो यहां पुरानी तारों की बात कही गई है, तो जिन जिन गांवों में पुरानी तारें हैं और इस प्रकार के कोई डिफैक्ट हैं उन गांवों को इस योजना में कवर किया गया है।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, विलेजिज के अन्दर जो पोलस हैं और तार कंडक्टर्ज लगे हुए हैं वे बहुत नीचे हैं, मकानों की दीवारों के साथ सटे हुए हैं या बहुत से पोल किसी न किसी मकान के अन्दर या किसी प्लाट के अन्दर खड़े हैं। लोग डिपार्टमैंट को इन तारों को हटाने के लिए गुजारिश करते हैं तो वे बहुत लम्बा चौड़ा बिल बनाकर दे देते हैं जिसको पे करना गरीब की हैसियत से बाहर है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के तहत जो 700 करोड़ रुपये आने हैं क्या उनमें उन गरीब किसानों को इस किस्म के खतरे से बचाने के लिए इलैक्ट्रिफिकेशन को ठीक करने के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के प्लाट्स लाल डोरे के बाहर हैं और उनका इलैक्ट्रिफिकेशन पहले ही हो चुका है, लोगों ने वहां प्लाट्स ले लिए और वहां मकान बना लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगर वहां कोई बिजली की शिफ्टिंग करनी है तो ओनर्ज को ही पे करना पड़ता है और जहां लाल डोरे में कोई मकान होते हैं और वहां तारों की इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उस स्थिति में बोर्ड अपने लैवल पर उसको ठीक करवाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां भी कहीं इस प्रकार की दिक्कतें हैं वहां राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के तहत सुधार करवा रहे हैं और जहां पोल नीचे हैं उनको भी ठीक करने की बात की जा रही है।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली सरकार में भी कहा था और आज भी एक बात कह रही हूँ कि गांवों के अन्दर जो लोहे के खम्भे हैं, गांवों में कई जगह तो घरों के अन्दर भी खम्भे हैं इन खम्भों को हटाने बारे प्रबन्ध किया जाए। पीछे सैशन में एक प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि एक पोल का 7000 रुपये का रेट था और हमारी सरकार ने 3500 रुपये पर पोल करने का प्रावधान किया था। लेकिन अभी भी रिवाड़ी में इस पोलिसी का प्रावधान नहीं किया गया कि 3500 रुपये पर पोल के हिसाब से खम्भा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि हमारे रिवाड़ी जिले में इस पोलिसी को कब तक लागू कर दिया जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक खम्भों के रेट की बात है तो बोर्ड ने ये रेट पहले ही फिक्स कर रखे हैं। जहां तक माननीय सदस्या ने लोहे के खम्भों के बारे में कहा है तो उनको चेंज कर रहे हैं क्योंकि कई गांवों में इस प्रकार की शिकायतें हैं। जहां भी इस प्रकार की शिकायतें हैं वहां हम इन लोहे के खम्भों को चेंज कर रहे हैं।

डॉ० सीता राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2004-05 के अन्दर कितने सब-स्टेशन्ज़ नये कमीशन किए हैं और कितने सब-स्टेशन्ज़ की ऑगमैंटेशन की गई है ?

Mr. Speaker : This is not possible to reply. (Interruptions). It is not relevant supplementary. Please take your seat. (Interruptions) पूरे सूबे के बारे में ऑफ हैण्ड एक मंत्री क्या कह सकता है (विघ्न) It is not relevant supplementary. Please take your seat.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद बिजली के सिस्टम में पहले से इम्प्रूवमैंट हुई है लेकिन इसके साथ ही कुछ प्राकृतिक चीजें हैं जिनके कारण बिजली का उत्पादन प्रभावित होता है और सिस्टम पर असर पड़ता है। (विघ्न) हमारी सरकार की मन्शा खराब नहीं है जबकि इनकी सरकार की मन्शा में खराबी थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार से ये बीच में टोकाटोकी करेंगे तो मुझे इनकी बात का जवाब भी देना पड़ेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इनको डिसिप्लिन में लाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार बीच में टोकाटोकी न करें। (विघ्न) मलिक साहब आप अपना सप्लीमेंटरी पूछें और इनकी बात पर कोई ध्यान न दें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर लो वॉल्टेज की बड़ी भारी समस्या रहती है। यह सवाल गोहाना तहसील से सम्बन्धित है और मैं इसको स्टेटवाईज नहीं ले जाना चाहता मैं सिर्फ गोहाना तहसील की ही बात करूंगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार किसी प्रकार का कोई प्रावधान कर रही है या इस बारे में कोई विचार कर रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत जिले के मुण्डलाना में 132 के.वी. का एक सब-स्टेशन 9-10 करोड़ रुपये की लागत से हम बनाने वाले हैं। मार्च 2006 में इस सब-स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 18 महीने में इस प्रोजैक्ट के पूरा होने की सम्भावना है। इसी प्रकार से ढाणी ब्राह्मणा में तथा गोहाना तहसील में खानपुर खुर्द में 33 के.वी. का नया सब-स्टेशन लगाने पर सरकार विचार कर रही है और हम इसकी फीज़िब्लिटी चैक कर रहे हैं। इसको बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसे बनाने में तीन महीने का समय लगेगा। फिरोजपुर नंगल में

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

132 के.वी. का सब-स्टेशन है। सरदाना कलां में 33 के.वी., खानपुर कलां में और कण्डली में सब-स्टेशन आगुमैंट होंगे जिसमें सवा तीन करोड़ रुपये लगेंगे। करसान में सब-स्टेशन वर्ष 2005 में कमीशन हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, गोहाना तहसील तथा जिला सोनीपत के बारे में मैंने माननीय सदस्य तथा सदन को जानकारी दे दी है।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी योजना के तहत ढाणियों में बिजली के कनैक्शन देने का प्रावधान है और यह योजना राज्य में चलाई जा रही है। मंत्री जी ने तो कहा है कि लाल डोरे से बाहर जो एरियाज हैं उनमें कनैक्शन्ज नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 15-20 साल से लाल डोरा नहीं बढ़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूँ कि लाल डोरे से थोड़ा बाहर जो ढाणियां हैं क्या उनमें भी बिजली के कनैक्शन देने का प्रावधान करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि यह मामला पंचायत तथा रेवेन्यू डिपार्टमैंट्स से सम्बंधित है लेकिन इसको भी हम देखेंगे। पिछले दिनों काफी मैम्बर्ज इसमें कंसर्ड रहे तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा है कि लाल डोरे को एक्सटैंड किया जाए। ऐसी ढाणियों के बारे में जहां पर ज्यादा क्लसटर्ज हैं इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है। माननीय सदस्य बाद में मुझ से मिलकर पता कर लें कि वे इसमें इन्कलूडिड हैं या नहीं।

15-00 बजे

श्री अनिल ठक्कर : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सोनीपत जिले के मुण्डलाना में यह जो 132 के.वी. का सब-स्टेशन बनाया जा रहा है क्या इससे गोहाना तहसील को ही फायदा होगा या इसके आसपास के गांवों को भी उस सब-स्टेशन से फायदा पहुंचेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस 132 के.वी. सब-स्टेशन में केवल गोहाना तहसील की बात नहीं, बल्कि इससे काफी एरिया को फायदा पहुंचेगा।

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी साथी लाल डोरे की बात कर रहे हैं। हमने भी इसके लिए बहुत सी दरख्वासतें दे दी हैं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। मंत्री जी ने कहा था कि लाल डोरे में जिन मकानों के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं, उन सभी तारों को हटा देंगे, लेकिन आज तक एक भी तार वहां से नहीं हटी है। इसके अलावा लाल डोरे से बाहर के मकानों के ऊपर से तारें हटाने की बात कही थी। लेकिन उन तारों को हटाने का इतना एस्टीमेट बनाकर दे दिया कि लोग यह सोचने लग गए हैं कि तार हटवाऊं या तार के नीचे से अपना मकान हटवा लूं। स्पीकर सर, तारें हटाने में इतना खर्च हो जाता है कि उससे अच्छा तो वह वहां पर से अपना मकान हटाने में ही भलाई समझता है। लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि वह अपना मकान उठाकर कहां पर ले जाए। स्पीकर सर, मेरे हल्के में बलाचौर गांव है। वहां पर एक लकड़ी के खम्बे पर तार लगी हुई थी और वह लाइन बहुत बड़ी है। स्पीकर सर, यह लाइन आगे बंद पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, तारों के नीचे मकान बनाये जाते हैं न कि बाद में मकानों के ऊपर से तारें लगाई जाती हैं। जहां पर खाली जगह होती है वहीं पर ही तारें लगाई जाती हैं। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। नैक्स्ट क्वैश्चन प्लीज।

Waiving of the amount of outstanding Electricity Bills

***129 Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount of outstanding electricity bills of domestic and agriculture consumers in rural areas of the State have been waived off since the announcement of the waiving of outstanding arrears of electricity bill to date;

(b) the number of consumers benefited from the scheme referred to in part 'a' above;

(c) the total amount of outstanding electricity bills is still pending against the defaulting consumers as referred to in part 'a' above; and

(d) the details of the amount of arrears of electricity bills cleared as a result of surcharge waiver scheme, disconnecting defaulters and drive for recovery of arrears of electricity bills from July 1999 to 31st March, 2005?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) On the basis of the number of persons who have opted till date for the waiver scheme, an outstanding amount of Rs. 1055 crores is eligible to be waived off under the Pending Settlement Scheme of Arrears for Rural Areas, subject to regular payment of current bills for 20 months from 17.6.2005 onwards.

(b) Eight Lac Seventy Four Thousand two hundred Nineteen consumers have opted for the Scheme.

(c) Five Lac Thirty One Thousand Six Hundred Twenty Eight consumers having arrears of Rs. 722.06 Crores have yet to opt for the scheme, which stands extended till 31-01-2006.

(d) Under different waiver schemes during the period from July, 1999 to March 2005, about Rs. 556 crores of arrears of electricity bills were settled. Of this amount, an amount of Rs. 269 Crores was waived off and Rs. 287 Crore recovered.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास, जो जवाब आया है उसमें मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है और यहां पर मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। जब 1600 करोड़ की माफी की योजना लागू की गई थी तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में ये शर्तें लगाई थीं कि यह शर्तें होंगी, तो यह माफी होगी, ये शर्तें होंगी तो यह माफी होगी। अध्यक्ष महोदय, इनका जो आज का जवाब है अगर उसको पढ़ें तो उसमें भी आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया इस बारे में ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ, "अब तक छूट योजना को अपनाने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 1055 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बकायों को लम्बित निपटान योजना के अन्तर्गत छूट के लिए पात्र है।" अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि राज्य में ग्रामीण योजनाओं पर कितना रुपया अब तक माफी योजना के तहत वेवऑफ किया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल है इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से पूछना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप कहानी न गढ़ें। Please put the supplementary.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरी हो जाने दें। इसी तरह से आप प्रश्न 'घ' में देखें तो सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। 'घ' पार्ट में मैंने पूछा था कि "जुलाई, 1999 से 31 मार्च, 2005 तक सरचार्ज माफी योजना, भुगतान न करने वालों के कनैक्शन काटना तथा बिजली बिलों के बकायों की वसूली के लिए अभियान के परिणामस्वरूप बिजली बिलों के बकायों की भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?" इस बारे में सरकार की तरफ से जवाब आया है लगभग 556 करोड़ रुपये।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप सवाल पूछ रहे हो या बहस कर रहे हो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : यह पब्लिक स्टेज नहीं है आप अपना प्रश्न पूछें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप वस्तुस्थिति बताएं कि आज तक कितना रुपया वेवऑफ किया गया है, इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, कितने घरेलू लोगों ने इसका फायदा उठाया है और कितनों ने कृषि क्षेत्र में इसका फायदा उठाया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो श्रीमान वहां पर बैठे हुए हैं इनकी सरकार ने लोगों से गलत वायदे करे थे कि हम आपके बिजली के बिल माफ कर देंगे और इनकी वजह से आज किसान कर्जे में दब गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस सरकार ने किसानों के लिए यह बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है और लोगों के बिलों का बहुत बड़ा अमाउंट माफ किया है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के बहकावे में आकर लोगों पर बहुत भारी कर्जा चढ़ गया था। (विघ्न) इन्होंने पूछा कि टोटल कितने डिफाल्टर्ज हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो टोटल डिफाल्टर्ज थे वह 14.5 लाख थे जिसमें से एग्रीकल्चर सैक्टर के डिफाल्टर्ज 2.58 लाख थे। इस स्कीम के तहत जिन्होंने ओप्ट किया वह 2.14 लाख थे यानी 83 परसेंट फार्मर्ज ने ओप्ट किया है। इन लोगों की सरकार ने तो सिर्फ सरचार्ज माफ किया था लेकिन हमारी सरकार ने पूरे का पूरा लोन ही माफ कर दिया है। आपकी तरह से नहीं कि इतने पैसे ले लिए और तब वेव ऑफ किया। हमारी तो सीधी बात है कि आप बीस करन्ट बिल पे करो और एक बिल के साथ पांच परसेंट माफ हो जाएगा। मैं इनको बताना चाहूँगा कि डोमैस्टिक सैक्टर के अन्दर इन लोगों की मेहरबानी की वजह से 11.47 लाख डिफाल्टर्ज थे जिसमें 6.60 लाख लोगों ने ओप्ट किया है यानी 57.54 परसेंट लोगों ने ओप्ट किया है। इन्होंने जो टोटल डिफाल्ट अमाउंट के बारे में पूछा है कि वह कितना था तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि यह In the order of 1660. 52 करोड़ रुपये था जोकि 31-3-04 तक ये लोग छोड़कर गए थे। यह कर्जा इनकी सरकार की वजह से किसानों पर था। बाद में यह इंक्रीज करके 1777 करोड़ रुपये हो गया। हमारी सरकार ने प्रिंसीपल अमाउंट 1244 करोड़ रुपये और 533 लाख रुपये जो सरचार्ज के तौर पर किसानों पर था, उसको माफ किया है। जो टोटल कंज्यूमरर्ज हैं उनके बारे में हमने 6 तारीख को कहा था कि बीस महीने तक जो मंथली पेमेंट करेंगे उनका 5% of the defaulting amount will be totally waived off. इस तरह से हम बिल नहीं ले रहे हैं हम करेंट बिल ले रहे हैं। 1777 करोड़ रुपये इस सरकार ने माफ किया है। (विघ्न) 1777 करोड़ रुपये हमने माफ किया है। इनके समय में कितना माफ हुआ था वह भी मैं आपको बता देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप इस समय की बात बताएं उनके समय का तो

सबको पता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो इनका आखिरी क्वैश्चन था उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने टोटल अमाउंट रिकवर किया है वह 2.87 करोड़ रुपये था जबकि 268 करोड़ रुपये वेव ऑफ किया गया है। इन्होंने केवल सरचार्ज ही माफ किया और हम पूरे का पूरा कर्जा माफ कर रहे हैं। यही फर्क है इनमें और हममें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप बैठिए।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी सरकार का, जिसने गरीबों की आवश्यकताओं को दिमाग में रखते हुए बिना किसी वायदे के यह काम किया। हमारी पार्टी की सरकार आने से पहले हमने इस बारे में कोई वायदा नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को रिलीफ दिया और आज प्रदेश के किसान पूरी शांति के साथ अपनी सरकार के इस रिलीफ को भोग रहे हैं। मैं इसी से संबंधित सवाल पर आता हूँ। इंदौरा साहब को तो इससे संबंधित सवाल पूछने का अधिकार नहीं था क्योंकि इनकी पार्टी का मसला तो बिजली का बहुत खराब था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर सवाल इनका है तो इनका ही नाम लूंगा। मैं चौटाला साहब का नाम कैसे लूंगा वे तो यहां पर हैं नहीं तो इन्हीं का नाम लूंगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सभा में मुझे जलील किया जा रहा है। He has no right to say like this. This is not the way. मेरा सवाल पूछने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : इंदौरा साहब, आपका सवाल पूछने का अधिकार है। Nobody can do it. मैं दोनों तरफ के सदस्यों से कहता हूँ कि वे बैठ जाएँ। Indora ji please take your seat (Interruptions) Prof. Sahib, this is not the way, I also request you that please take your seat. (Interruptions) Indora ji, please take your seat. (Interruptions)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : इंदौरा साहब, आपकी कही बात को मैं रख रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, कृपा करके आप बैठ जाएं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मर्यादा का पूरा ध्यान रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद इन्दौरा साहब।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : माननीय सदस्य श्री छत्तरपाल सिंह जी की भावना यह थी कि सवाल इन्दौरा साहब का है, इनकी शान में, इनकी अदब में छत्तरपाल सिंह जो ने कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला है जो इनकी शान के खिलाफ हो। (शोर एवं व्यवधान) मैं इन साथियों को बताना चाहूँगा कि पूरे आराम से रहें। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस सदन के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रान्त में है, जलील करने वाली सरकार चली गई, वह व्यक्ति अब सदन में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : छत्तर पाल जी, आप सवाल पूछिए।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। सरकार ने किसानों के हक में बहुत से फैसले किए हैं। एक तो मैंने जो गरीब किसानों के बारे में सवाल किया था उस बारे में

[प्रो० छतर पाल सिंह]

आश्वासन चाहता हूँ कि देहात के अंदर जो बिजली की दिक्कत है, खंभे, तार, पोल शिफ्टिंग की जो दिक्कत है इस योजना के तहत यह पैसा उसमें डालकर क्या आप गरीबों को रिलीफ दे सकते हैं। इससे संबंधित मेरा दूसरा सवाल यह है कि बिजली विभाग ने अच्छी मुहिम चला रखी है उसमें बिजली चोरी के कलप्रिट पकड़े भी जा रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कई बार ऐसे केसिज नोटिस में आते हैं जहां पर थैफ्ट जस्टीफाइड नहीं है और उसमें पैनल्टीज लगा दी जाती हैं। क्या सरकार और मंत्री महोदय इस बात का कोई आश्वासन देंगे कि गरीब आदमी को बिना पैनल्टी का पैसा जमा कराए इस तरह के केसिज की इंक्वायरी करवा कर पैसा जमा करायेंगे, क्योंकि गरीब आदमी इतना पैसा पैनल्टी का भरने की स्थिति में नहीं होता इसलिए थैफ्ट के केस की पूरी जांच करके ही पैनल्टी डाली जाए। या पैनल्टी डल जाती है तो उसमें बिना पैसा जमा कराए कोई अपील दलील सुनी जाए, इस तरह का कोई प्रावधान सरकार करेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : जहां तक सवाल थैफ्ट का है, थैफ्ट के मामले में हमने कोई प्रोत्साहन नहीं देनी है अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको बाकायदा मीटर लगाना चाहिए। जहां तक थैफ्ट का सवाल है उसमें कोई रियायत देने की बात नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कई साथियों ने चर्चा की है। भाई छत्तर पाल जी को मैं बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजना है उसके अंतर्गत बायफरकेशन ऑफ फीडर्स हम कर रहे हैं। उसके तहत रूरल, ऐग्रीकल्चर और इण्डस्ट्रीज के अलग-अलग फीडर्स होंगे, उससे ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके अन्तर्गत कुदरती बात है कि फीडर्स अलग-अलग कर रहे हैं तो पुरानी तारें भी बदली जाएंगी। जहां तक थैफ्ट का सवाल है जैसे इस बारे में मंत्री जी ने कहा है, थैफ्ट को हमने कोई प्रोत्साहन नहीं देना है। बिजली की कंपनियां बनी हुई हैं और उनके बाकायदा अपने कायदे कानून हैं। सबको यह अधिकार है कि अगर कोई गलत थैफ्ट का केस बनाता है उसको सब की प्लीड करने का अधिकार है।

Setting-up of workshop for repairing of Electronic Transformers

***130. Shri Naresh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a workshop for the repair of electronic transformers at Ateli or Narnaul of district Mahendergarh ?

Revenue Minister (Capt. Jay Singh Yadav) : No, Sir.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सीधे-सीधे 'नो' में जवाब दिया है। मैं सदन से जानना चाहता हूँ कि जितना महेन्द्रगढ़ में खासतौर से नारनौल व अटेली के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर जलते हैं और वहां नहर का पानी भी बहुत ही कम मात्रा में आता है। ट्रांसफार्मर को ठीक कराने के लिए हिसार जाना पड़ता है और दो-दो महीने तक ट्रांसफार्मर वापस नहीं आते। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इस समस्या का कोई इलाज कर रहे हैं जिससे कि ये ट्रांसफार्मर जलें ही नहीं। यदि पावर कैपेसिटी बढ़ा दी जाए और सब-स्टेशनों की ताकत बढ़ा दी जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है यह ठीक है कि एक वहां पर ट्रांसफार्मरज की रिपेयर वर्कशाप थी जो कि 30-6-99 को बंद कर दी गई थी। लेकिन बात यह है कि जो इस प्रकार की वर्कशाप की बात की है वह वर्कशाप पहले थी। अब सरकार जो भी रिपेयर का काम दे रही है वह प्राईवेट फर्मस को दे रही है। इसका कारण यह था कि पहले नारनौल में वर्कशाप थी उसमें जो ट्रांसफार्मरज रिपेयर होते थे वह अच्छी तरह से रिपेयर नहीं होते थे। वे इधर उधर से पार्टस लेकर असैम्बल कर दिया करते और उन ट्रांसफार्मर की परफोरमैंस अच्छी नहीं थी और उन पर खर्चा ज्यादा होता था इसलिये सरकार ने यह काम प्राईवेट फर्मज को देने का फैसला किया। अब जो भी ट्रांसफार्मर खराब होता है उसको अच्छे ढंग से रिपेयर किया जा रहा है। यह सदन जानता है कि ट्रांसफार्मरज पर बोर्ड का काफी खर्च होता है क्योंकि पूरा इन्फ्रास्ट्रैचर बनाना पड़ता है। इसलिए इस काम को कान्ट्रेक्ट पर देने का सरकार ने फैसला किया है। नारनौल से हमें कोई भेदभाव नहीं है इसलिए माननीय सदस्य को इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। हम भी उसी इलाके के हैं इसलिए माननीय सदस्य की इस प्रकार की कन्सर्न होने की बात नहीं है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : स्पीकर सर, यह जो ट्रांसफार्मरज की रिपेयर की बात की जा रही है पिछली सरकार के समय मैं कई दिनों तक यह देखता रहा कि मेरे हल्के दादरी में जो भी ट्रांसफार्मर लगता बाद में था खराब पहले हो जाता था। उसको दोबारा से यह कहकर लगाया जाता था कि इसको ठीक कर दिया है लेकिन उसको ठीक नहीं किया जाता था वैसे का वैसा ही दोबारा से लगा दिया जाता था बाद में पता चलता था कि उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर ही नहीं किया गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की रिपेयर के लिए वारन्टी देने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए क्योंकि यह पब्लिक का पैसा है जो जाया होता जा रहा है। दूसरे, मेरे हल्के में एक समस्या यह भी है कि जो इलैक्ट्रोनिक्स मीटर लगाए गए हैं उनमें और ज्यादा गड़बड़ चल रही है। बिजली महकमे वाले कंज्यूमरर्स को बता देते हैं कि आपका मीटर खराब हो गया है नया खरीदना पड़ेगा इस प्रकार कंज्यूमरर्स को हर बार नया मीटर खरीदना पड़ रहा है जो एक आम आदमी की हैसियत से बाहर है उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आज जो ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं उसका मुख्य कारण लोड फैक्टर का है। आप जानते हैं कि किसान जब ट्यूबवैल के लिए कनैक्शन लेता है तो उसमें लोड फैक्टर 5 हार्स पॉवर का दिखाता है और उसके बाद 10 हार्स पॉवर की मोटर लगा लेता है इसलिए उस ट्रांसफार्मर पर ओवर लोड हो जाता है और वह ट्रांसफार्मर जल जाता है। अगर वह पहले ही अपना लोड फैक्टर सही दर्शाये तो हम जहां 63 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाते हैं वहां 100 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं और वह ट्रांसफार्मर फिर इतनी जल्दी जल भी नहीं सकेगा। अब जो नये ट्रांसफार्मरस खरीदे जा रहे हैं उनमें ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं कि अगर ओवरलोडिंग होगी तो वह ट्रांसफार्मरस ट्रिप कर जाएंगे और जलेंगे नहीं।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि पहले ट्रांसफार्मर रिपेयर की वर्कशाप महेन्द्रगढ़ में स्थित थी लेकिन पिछली सरकार ने पता नहीं किन कारणों से उसे नारनौल शिफ्ट कर दिया गया है। महेन्द्रगढ़ के गांव के किसानों को ट्रांसफार्मर की अलोकेशन करके एक कागज थमा दिया जाता है और उनको कह दिया जाता है कि आपको ट्रांसफार्मर नारनौल से मिलेगा इस प्रकार किसानों को ट्रांसफार्मर नारनौल से उठाना पड़ता है और उसके लाने का खर्चा भी खुद वहन करना पड़ता है और वहां पर 2, 3 और 4 दिनों तक बैठे रहना पड़ता है जिससे किसानों का

[राव दान सिंह]

पैसा ज्यादा खर्च होता है और उनको काम में हानि होती है क्योंकि फसल का सीजन होता है। क्या मंत्री जी उस वर्कशाप को दोबारा से महेन्द्रगढ़ में स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर और जगह उपलब्ध है इसलिए क्या सरकार उस वर्कशाप को दोबारा महेन्द्रगढ़ में स्थापित करने का काम करेगी?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नारनौल में महकमे का एस.ई. बैठता है और उसकी देखरेख में ही यह सब काम होता है। जब एक्सियन उसको डिमाण्ड भेजता है तो वह ट्रांसफार्मर को रिपेयर करवाता है और एस.ई. ही ट्रांसफार्मरज की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और किसान के खेत में सरकारी खर्चे से ही ट्रांसफार्मर लगवा जाता है। इसमें किसान का कोई पैसा नहीं लगता।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम बहुत अच्छी है कि प्राईवेट इन्टरप्रिन्योर्ज को यह सरकार बढ़ावा दे रही है लेकिन सरकार की जितनी भी एस्टिब्लिशमेंट हैं उनमें काफी गड़बड़ चल रही है। मैं अपने इलाके के बारे में बताना चाहूँगा। पैड्डी का बड़ा भारी सीजन था और प्राईवेट लोगों ने भी गांव के लोगों से रिश्वत के तौर पर तारों की अदला-बदली करने के लिए कि तेरा पहले कर देंगे उसका बाद में कर देंगे किसानों से पैसे लिए। मैं सरकार के नोटिस में यह बात इसलिए ला रहा हूँ कि सरकार उस पर तरमीम कर सकती है, मेरे हल्के में भी इस प्रकार की गड़बड़ चल रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार इंटरप्रिन्योर्ज का जाल ज्यादा बढ़ाए, हर सब डिविजन लैवल पर 2-2, 3-3 ठेकेदारों का प्रावधान करें। ज्यादातर ये ठेकेदार यू.पी. से आते हैं, उनमें रिश्वत के कान को मेहरबानी करके सख्ती से खत्म करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो बात रखी है मैं उनको बताना चाहूँगा कि कोटा की भी हमारी फर्म है, आगरा की भी फर्म है, अलवर से भी है और अन्य जगहों की भी फर्म्ज हैं, इन्होंने जो रिश्वत की बात रखी है मैं इसको मानता हूँ और हम इसमें इम्प्रूवमैंट करने की कोशिश करेंगे।

श्री एस.एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पूरी स्टेट में ट्रांसफार्मर्ज के जलने और डैमेज की बहुत शिकायतें हैं, क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने सब स्टैंडर्ड मैटीरियल वाले ट्रांसफार्मर्ज बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदे जिस वजह से इतना डैमेज है और अगर यह सच है तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो बात रखी है इस किस्म की कोई बात मेरी नोलेज में नहीं है और अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे और कार्यवाही करेंगे, वैसे तो आज तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर ट्रांसफार्मर्ज की रिपेयर के लिए वर्कशाप पर चर्चा चल रही है। मैं वर्कशाप के बारे में नहीं कहूँगी कि कलायत या उसके आस-पास कोई वर्कशाप हो लेकिन यह अपील जरूर करना चाहूँगी कि बहुत से ट्रांसफार्मर्ज जो जल जाते हैं और रिपेयर के लिए जाते हैं तो उनका टाईम फिक्स किया जाए कि यह ट्रांसफार्मर्ज इतने समय में रिपेयर होकर आ जाएगा। मैं यह भी अपील करना चाहती हूँ कि ट्रांसफार्मर जिस समय रिपेयर करने के लिए उठाकर ले जाया जाता है उस पीरियड के बीच कोई पुराना ट्रांसफार्मर रिपेयर किया हुआ वहां जरूर

लगा दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि जितनी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमैंट है उतनी ही कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर रखे जाएं। मान लो, अगर ज्यादा कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के स्थान पर कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर रख दिए जाते हैं तो ट्रांसफार्मर लगाते ही जल जाता है इसलिए मैं यह भी अपील करना चाहती हूँ कि लोड की कैपेसिटी के हिसाब से ही ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और ट्रांसफार्मर रिपेयर होकर आते ही नहीं हैं और वह क्षेत्र केवल दिन ही नहीं, हफ्तों नहीं बल्कि महीनों बिना ट्रांसफार्मर के रह जाते हैं इसलिए इस समस्या की ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, लोड फैक्टर की बात माननीय सदस्या ने रखी है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, बाकायदा वहां का लोड देखकर ही लगाए जाते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि लोग ट्यूबवैल पर मोटर लगाते तो 10 होर्स पॉवर की है और शो करते हैं 5 होर्स पॉवर की। इस प्रकार ट्रांसफार्मर ओवर लोडिड हो जाता है और जल जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफार्मर की रिपेयर की बात है तो इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए।

Setting-up of Industries in the State

*139. **Dr. Sita Ram :** Will the Minister for Industries be pleased to state the total number of industries have been set-up and are likely to be set-up in the state after implementing the new Industrial Policy ?

Industries Minister (Sri Lachman Dass Arora) : 508 Industrial Units have been set-up upto November 2005 after the new Industrial Policy came into force. This policy aims at providing employment to ten lac persons and envisages investment of Rupees two lac crore in the next ten years.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जिन 508 औद्योगिक इकाइयों का जिक्र किया है, क्या उन्होंने अपने जिले सिरसा में भी कोई औद्योगिक इकाई लगाई है, इसके अलावा जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं चाहे फतेहाबाद है, महेन्द्रगढ़ है या नारनौल है, क्या इन इलाकों में कोई नया उद्योग लगाया गया है। साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक वाइज डिटेल भी जानना चाहूँगा कि वे कौन-कौन से उद्योग हैं जो लगाए गए हैं। मंत्री जी ने एक वेग आनसर दिया है कि 508 उद्योग लगाए हैं लेकिन डिटेल नहीं बताई है इसलिए मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इसकी पूरी डिटेल बताएं।

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो पूछा है मैंने उसका जवाब दिया है, इन्होंने इतना ही पूछा है कि कितने उद्योग लगाए हैं, मैंने इनके प्रश्न का ही जवाब दिया है, विस्तार में इन्होंने कोई बात ही नहीं की। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनका क्वैश्चन देखिए। सीता राम जी, आपने जो सवाल दिया है वह मैं यहां पढ़ देता हूँ।

> " Will the Minister for Industries be pleased to state the total number of industries that have been set-up and are likely to be set-up in the state after implementing the new Industrial Policy?"

[श्री लछमन दास अरोड़ा]

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल पूछा है मैंने उसका जवाब दे दिया है। जो सप्लीमैंटरी ये पूछ रहे हैं वह इसमें बनता ही नहीं है।

वित्त मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सिरसा की इण्डस्ट्रीज के बारे में तो इनको जवाब दे ही दिया है। हरियाणा में जो इण्डस्ट्रीज लगी हुई थी इन लोगों की सरकार ने तो सारे हरियाणा की इण्डस्ट्रीज को ही खत्म कर दिया था।

———

Construction of Dau-Majra Road

***175. Shri Kharaiti Lal Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the left out part of the link road between National High Way No. 73 to village Dau-Majra, Tehsil Shahabad Markanda, District Kurukshetra; and

(b) if so, the time by which the said piece of the road is likely to be constructed ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir.

(b) It is likely to be constructed by June 2006.

श्री खैरती लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। परन्तु मैं उनको एक बात भी बताना चाहूँगा कि नैशनल हाई वे नं० 73 की थोड़ी सी दूरी पर सड़क का यह छोटा सा टुकड़ा है जिसे बनाने में छः महीने का समय लगेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि सड़क के इस टुकड़े को बनाने में थोड़ा सा एमाउंट ही लगेगा। स्टेट हाई वे पर रेलवे ब्रिज बनना है और उस सड़क का सारा ट्रैफिक इस तरफ डाईवर्ट कर दिया गया है इस वक्त वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जिस कारण सड़क टूटी हुई है। अगले छः महीने तक तो वह सड़क और भी ज्यादा टूट जाएगी और उसमें गड्ढे भी पड़ जाएंगे और उसमें पैसा ज्यादा लगेगा और टाईम भी ज्यादा लगेगा अगर उसको इस वक्त बना दिया जाए तो वह थोड़े से समय में थोड़े पैसे से तैयार हो जाएगी। क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, 7 दिसम्बर, 2005 को इस सड़क के लिए तीन लाख चार हजार रुपये सैंक्शन किए गए हैं। हम छः महीने के बजाए इस टुकड़े को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए प्रयास करेंगे और विभाग को इस बारे में निर्देश दे देंगे।

———

Opening of Rakshi Rivulet

***138. Shri Ramesh Gupta** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt/open Rakshi rivulet in the Ladwa town of district Kurukshetra ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Rivulet is likely to be desilted/ opened?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) No, Sir

(b) Not applicable in view of answer to (a) above.

श्री रमेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र लाडवा में वाटर लैवल बहुत नीचे जा रहा है। सरस्वती, चितंग और राक्षी हमारे यहां पर 30-40 किलोमीटर के एरिया में निकलती रही हैं लेकिन किसी कारणवश अब वे बंद हो गई हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके होने का प्रमाण मौजूद है और उनको अब खोला जा सकता है। दादूपुर नलवी निकालने की परियोजना पर सरकार विचार कर रही है और डिस्ट्रिब्यूटरी बना कर उसको राक्षी में डाला जाएगा तो हमारे एरिया का वाटर लैवल इससे कुछ ऊपर आ जाएगा। हमारा वह सारा एरिया पैडी ग्रोइंग एरिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र गए थे तो यह मामला उनके नोटिस में भी लाया गया था। इससे किसानों को बड़ा भारी लाभ मिलेगा और दूसरी बात यह है कि इससे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को भी फायदा हो सकता है। इसमें सरकार को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, लाडवा के पास कुछ खुदाई भी हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जहां सरकार साउथ हरियाणा में पानी की तरफ इस प्रकार से ध्यान दे रही है क्या हमारे इलाके की ओर भी उसी प्रकार से ध्यान देने की कृपा करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है मैं उसके बारे में इनके नोटिस में लाना चाहूँगा कि चितंग और राक्षी नाम के बरसाती नाले हैं जिनके कारण लाडवा के ऐरिया में बड़ी भारी बाढ़ आ जाती थी। करीब 20 साल पहले इसके लिए आर.डी. 138 में जाकर नाले को डाईवर्ट करके डब्ल्यू.जे.सी. में मिला दिया था। जहां तक इन नालों के पानी से सिंचाई की बात का सम्बन्ध है, सिंचाई के तौर पर इनका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। जिस एरिया में राक्षी नाला निकलता है अगर उसको डाईवर्ट करके निकालते हैं तो लाडवा का सारा गन्दा पानी इस नाले में गिरेगा। डब्ल्यू.जे.सी. का जो वाटर है वह उसमें सिरसा में जाकर मिलता है। यदि उसको यूज करना है तो उस पानी को ट्रीट करके उसमें मिलाया जा सकता है और यह काम पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट का है। इस पानी को ट्रीट करके इसमें डाल दिया जाए, इसके बारे में विचार किया जा सकता है। दूसरी बात ये जो पानी की रिचार्जिंग की बात कर रहे हैं इसके लिए दादूपुर नवली स्कीम चल रही है उससे हम रिचार्जिंग की बात करेंगे लेकिन इससे कोई रिचार्जिंग की बात नहीं है।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा डिसिल्टिंग के बारे में सवाल है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में कैनाल्ज की डिसिल्टिंग हो चुकी है अगर नहीं हुई है तो कब तक हो जाएगी। स्पीकर सर, कई कैनाल्ज की चैनल्ज की बीच में से तो सफाई हो चुकी है लेकिन क्या उनके बैंक के ऊपर की सफाई करने का भी प्रपोजल है। इसके अलावा कैनाल्ज से जो पानी की थैफ्ट होती है उसको भी रोकने का काम सरकार द्वारा करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न स्पेसिफिक नाला साक्षी के बारे में है। पूरे प्रदेश की बात नहीं है। मिनिस्टर के लिए यह पोसिबल नहीं है कि वह बरबली पूरे प्रदेश के बारे में जवाब दे दें।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि चैनल्ज के अन्दर की तो डिसिल्टिंग करवा दी गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उनके बैंकस के ऊपर की भी सफाई करवाने की कोई प्रपोजल है ? इस बारे में जवाब दे दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यह जो डिसिल्टिंग की बात कर रहे हैं। इस बारे में आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि टोटल कैनाल्ज 955 हैं। 1-4-2005 से 30-11-2005 तक 765 कैनाल्ज पर डिसिल्टिंग का काम करवाया है। यह नहीं है कि यह काम पूरा हो गया है, यह काम अभी अन्डर प्रोग्रेस है। जहां तक इन्होंने पानी की चोरी की बात कही है तो इस बारे में देख लेंगे। सर, खासतौर पर महेन्द्रगढ़, नरवाना और हिसार के एरिए के हैडज पर लोग चोरी करते हैं। इस बारे में हम कोशिश कर रहे हैं और हरियाणा आर्म्ड पुलिस की सहायता से पैट्रोलिंग करके चोरी की रोकथाम की कोशिश करेंगे।

श्री रमेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बाढ़ का जिक्र किया है तो मैं सदन में आपको बताना चाहूँगा कि 30-40 साल पहले बाढ़ आई थी। यह जो दादरी और नलवी कैनाल हमारे एरिए से नहीं गुजरती है। तो ये वहां पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी कैसे देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य और सदन के सभी सदस्यों को यह कहना चाहूँगा कि किसानों से सम्बन्धित कोई बात आती है तो हम उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Setting-up of 33 KV Sub-Station at Mundhri and Songri Villages

*156. **Shri Tejendra Pal Singh Mann :** Will the Chief Minister be pleased to state : —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up 33 KV Sub-station in Mundhri and Songri villages of Kaithal District; and

(b) if not, what steps will be taken by the Government to improve the voltage problem in the said area ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) No, Sir.

(b) (i) **Steps to improve voltage problem in village Mundhri :**

To improve voltage in Mundhri vilage, earlier 11 KV feeder has already been trifurcated. The voltage in village Mudhri is now satisfectory.

(ii) **Steps to improve voltage problem in village Songri :**

A proposal is under consideration for reducing the leangth of the 11 KV feeder to village Songri, which will improve the voltage. This work is likely to be completed by 31-03-06.

इसके साथ-साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जवाब सैटिसफैक्टरी है। हमें जो रिपोर्ट

मिली है इस पर काम करने की जरूरत है। अगर आप कहेंगे तो हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूँगा कि सरकार जो रिटन रिप्लाई में नहीं है।

इसके साथ ही सदन को बताना चाहूँगा कि प्रश्न के उत्तर के बी भाग के पार्ट (II) में है :—

(ii) **Steps to improve voltage problem in village Songri :**

A proposal is under consideration for reducing the leangth of the 11 KV feeder to village Songri, which will improve the voltage. This work is likely to be completed by 31-03-06.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहूँगा कि मुन्धड़ी गांव कैथल और पुंडरी के बीच में है और यहां पर हमने आपके प्लान के अनुसार पंचायत के रैजोल्यूशन से बिजली बोर्ड को जमीन दे रखी है। इस तरह से काफी कारगुजारी इस बारे में हो रखी है। यह केवल मुन्धड़ी गांव का सवाल नहीं है। वहां पर सड़क से डथर 12-13 गांवों का कलस्टर है। अगर आप वहां पर यह सब-स्टेशन 33 के.वी. का बना देंगे तो इससे आपका बिजली का सिस्टम भी बेहतर होगा। वहां पर जो कटवाड़, धौंस, नैना, खनौदा आदि गांव है इन गांवों को बिजली देने का सिस्टम बहुत ही पुअर है। हमारी एक प्राब्लम है और वह यह है कि वहां जो इलाका मेरी कंस्टीच्यूएंसी से लेकर कलायत या उससे आगे तक का है उसमें दस साल पहले फ्लड आया था। उससे पहले तो वह इलाका बिल्कुल बरानी इलाका था या फिर थोड़ा बहुत कैनाल इरीगेटेड इलाका था लेकिन अब हमारे भाग्य से वहां पर नीचे के स्ट्रेटा में सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज लगने लगे हैं इसलिए अब वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड बिजली की है। हमने जखौली गांव में सब-स्टेशन बनवाया था लेकिन उससे भी अब काम नहीं चल रहा है। सोंगरी गांव में भी बिजली की इम्प्रूवमैंट के लिए 33 के.वी. का सब-स्टेशन बनना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पंचायतें भी कोओपरेट कर रही हैं और हम भी कोओपरेट कर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा ट्यूबवैल्ज लग रहे हैं। जनता जनार्दन ने, गरीब लोगों ने बीस-तीस हजार रुपये, लाख-लाख रुपये भी दे रखे हैं इसलिये मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके इस प्रपोजल को दिखवा लें और इनको बनवाने की कृपा करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि जहां तक मुन्धड़ी गांव की बात है हमने वहां के 11 के.वी. सब-स्टेशन को ट्राईफिर्कट कर दिया था। इससे मुन्धड़ी, धौंस और कंटवाड़ आदि गांवों को बिजली सप्लाई की जा रही है। लेकिन इनकी बात को देखते हुए हम इसका सर्वे करवाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इस सब-स्टेशन को 33 के.वी. सब-स्टेशन बना देंगे लेकिन इसके लिए जमीन पंचायत को ही देनी पड़ेगी। जहां तक सोंगरी गांव के सब-स्टेशन की बात है। यहां पर भी हमने काम कर दिया है। हम इसको तारागढ़ से कनैक्ट करेंगे, इसके बाद इसका सात किलोमीटर का डिस्टैन्स कम हो जाएगा। इसके बाद सोंगरी गांव की वोल्टेज में काफी फर्क पड़ेगा। यह काम हम 31-3-2006 तक पूरा कर देंगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, सोंगरी गांव कैथल जिले का और मेरे हल्के का भी आखरी गांव है। आपकी स्कीम के तहत वहां पर बीस-तीस ट्यूबवैल्ज लगे हैं इसलिए जब तक इनके बीच में आप और कोई सब-स्टेशन नहीं बनाएंगे तब तक एग्जिस्टिंग फीडर्ज से भी उनकी पावर रिक्वायरमैंट पूरी नहीं होगी। हम इसके लिए सारी जमीन वगैरा भी देने को तैयार है तो क्या मंत्री जी इसको बनवाने के बारे में विचार करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि सोंगरी गांव को हम जखौली से फीड कर रहे हैं। हमने आलरेडी वहां पर काम कर दिया है फिर भी अगर वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसको ऐग्जामिन करवा लेंगे।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आज से दस पन्द्रह साल पहले जो 33 के.वी. सब-स्टेशन हमने बनवाए थे उनमें अब तक कोई भी तरमीम नहीं हुई है उनको बढ़ाया नहीं गया है जिसके कारण लोग दु:खी हैं। भाड़ावास सब-स्टेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वहां पर अब काफी कनैक्शन बढ़ गये हैं जिसके कारण लोग पूरी बिजली न मिलने के कारण तड़प रहे हैं। क्या मंत्री जी उस सब-स्टेशन को अपग्रेड करने के बारे में विचार करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह ओन गोईंग प्रौसेस है। जहां लोड फैक्टर बढ़ जाता है वहां पर हम सब-स्टेशन को अपग्रेड कर देते हैं। इन्होंने भाड़ावास के सब-स्टेशन को अपग्रेड करने के बारे में जिक्र किया तो हम इसको भी एग्जामिन करवा लेंगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Plantation of Trees

*135. **Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister for Forests be pleased to state—

(a) the total number of trees planted in districts Mahendergarh, Rewari, Gurgaon and Faridabad during the year 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005;

(b) whether any kind of irregularities/embezzlement of funds in the palntation of the aforesaid trees have come into the notice of the Government, if so, the details thereof together with the action, if any, taken or proposed to be taken against the delinquent officers/officials; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide trees/plants to a person for plantation in South Haryana?

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) : मांगी गई सूचना सदन के पटल पर रखी गयी है।

सूचना

(क) वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में वन विभाग द्वारा महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी,

गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में कुल लगाए गए पौधे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	महेन्द्रगढ़	रेवाड़ी	गुड़गांव	फरीदाबाद
2002-03	812679	564581	2442239	498763
2003-04	1313013	581835	1265719	660454
2004-05	1139486	619506	422834	624254

वन विभाग द्वारा उपरोक्त लगाये गये पौधों के अतिरिक्त व्यक्तियों, किसानों संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं को उन द्वारा पौधारोपण के लिए निम्न प्रकार से पौधे निशुल्क दिये गए :

वर्ष	महेन्द्रगढ़	रेवाड़ी	गुड़गांव	फरीदाबाद
2002-03	423968	572062	1308471	1068390
2003-04	469246	577419	986527	1063752
2004-05	489685	674003	1304224	1117604

(ख) विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा पौधारोपण की नियमित जांच के दौरान कुछ कमियों की रिपोर्ट की गयी। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पाई गयी कमियों एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है।

(i) जिला महेन्द्रगढ़

क्र. सं.	पौधारोपण क्षेत्र का नाम	पौधारोपण का वर्ष	प्राप्त लक्ष्य (हैक्टेयर में)	रिपोर्ट की गई कमी (हैक्टेयर में)	केस में की गई कार्यवाही
1.	जेरपुर पंचायत भूमि	2003-04	10 है०	0.3 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2.	बछोद पंचायत भूमि	2003-04	7.5 है०	0.05 है०	वन राजिक अधिकारी व अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
3.	बछोद कुंजपुरा रोड़ (कि०मी० 0-4 दायें व बायें)	2002-03	2.5 है०	0.8 है०	कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
4.	मोहनपुर डिस्ट्रीब्यूट्री (कि०मी० 0-4 दायें व बायें)	2004-05	2 है०	0.2 है०	वन राजिक अधिकारी व अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
5.	अटेली कनीना रोड (कि०मी० 0-13 दायें व बायें)	2003-04	12 है०	4 है०	सभी संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

(ii) जिला महेन्द्रगढ़

क्र. सं.	पौधारोपण क्षेत्र का नाम	पौधारोपण का वर्ष	प्राप्त लक्ष्य (हैक्टेयर में)	रिपोर्ट की गई कमी (हैक्टेयर में)	केस में की गई कार्यवाही
1.	फरीदाबाद तिगांव खेडी रोड (कि०मी० 3-10 दायें व बायें)	2003-04	5 है०	0.2 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
2.	बल्लभगढ़ सिरमथला रोड (कि०मी० 5-10 दायें ब बायें)	23003-04	7 है०	2.8 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
3.	डी०एम० रोड कि०मी० 31-38 दायें व बायें)	2003-04	18 है०	8.7 है०	उपरोक्त के अनुसार ही कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
4.	उजीना डाईवर्जन ड्रेन (कि०मी० 6-7 बायें और 7-9 दायें)	2004-05	20 है०	5.1 है०	वन राजिक अधिकारी, वन दारोगा व वन रक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
5.	पिंगोर ड्रेन	2004-05	6 है०	1.2 है०	वन राजिक अधिकारी, वन रक्षक व माली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
6.	पृथला असावती रोड (कि०मी० 0-4 दायें व बायें)	2004-05	2 है०	0.4 है०	सभी संबंधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
7.	बाई बाटा ड्रेन (आर०डी० 0-20 दायें व बायें)	2004-05	4 है०	3 है०	वन राजिक अधिकारी, वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
8.	सुल्तानपुर सुरक्षित वन	2004-05	20 है०	2.3 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
9.	फरीदाबाद तिगांव रोड (4-10 दाये व बायें)	2004-05	5 है०	0.45 है०	सभी संबंधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी जारी किया गया।

(iii) जिला गुड़गांव

क्र. सं.	पौधारोपण क्षेत्र का नाम	पौधारोपण का वर्ष	प्राप्त लक्ष्य (हैक्टेयर में)	रिपोर्ट की गई कमी (हैक्टेयर में)	केस में की गई कार्यवाही
1.	रावली पंचायत भूमि खेडी रोड (कि०मी०	2002-03	15 है०	14 है०	वन राजिक अधिकारी व वन दारोगा का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(iv) जिला रिवाड़ी

वर्ष 2002 में मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी परियोजना ने रेवाड़ी जिले में नर्सरी उगाने में कुछ अनियमितताऐं अंकित की। इन बतायी गयी अनियमितताओं के आधार पर श्री मनोहर लाल, वन राजिक अधिकारी व श्री भूप सिंह, मण्डलीय लेखाकार को आरोप पत्र जारी किये गये। श्री मनोहर लाल, वन राजिक अधिकारी ने अपने उत्तर में आरोपों का खण्डन किया। श्री भूप सिंह, लेखाकार ने नर्सरी पर हुए व्यय और उगाये गये पौधों की संख्या का वाउचर दर वाउचर विवरण दिया। दण्ड अधिकारी ने इस केस में लेखाकार को व्यय के गलत बुकिंग और लापरवाही के अतिरिक्त किसी बड़ी अनियमितता के लिए जिम्मेवार नहीं समझा।

आरोपित कर्मचारियों के उत्तरों व लेखाकार के खिलाफ आरोपों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों ही केस फाईल कर दिये गये।

(ग) वन विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में आम जनता, किसानों, सरकारी संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं को वृक्षारोपण के लिए मुफ्त पौधे वितरण का एक कार्यक्रम पहले ही चलाया जा रहा है।

Water of W.J.C.

***176. Shri Ram Kumar Gautam :** Will The Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the water of W.J.C. is being supplied for irrigation purpose to village Masudpur in Narnaund constituency : and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govermnent to stop the supply of water from W.J.C. and providing the same through Bakhra Canal from Panihari village Masudpur?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

Development of Sectors in Safidon Constituency

***205. Shri Bachan Singh Arya :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop

[Shri Bachan Singh Arya]
the sectors of HUDA in Saffidon constituency; if so, the time by which the work for the development of the Sectors is likely to be started ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान्, नहीं।

Extension of Metro Rail upto Manesar

*184. **Shri Sukhbir Singh Sohana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the state Government to take up the matter with Central Government for the extension of the Metro Rail upto Manesar in district Gurgaon ; if so, the detail thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : नहीं, श्री मान्।

Setting-up of 33 KV Sub-station

*219. **Shri Somvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up 33 KV Sub-stattion at Singhani, Baralu, Jhuppa Kalan (Siwani) in Loharu Constituency ; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to be meteralized ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) सिंघानी-हां, श्रीमान्।

बरालू-नहीं, श्रीमान्।

झुप्पाकलां-नहीं, श्रीमान्। मीठी में अस्थाई उपकेन्द्र को अब ग्राम पंचायत मीठी से 4 एकड़ भूमि के प्राप्त होने पर स्थाई उपकेन्द्र में परिवर्तित किया जाना है।

(ख) सिंघानी- यह योजना तकनीकी जांच पड़ताल के अन्तर्गत है। आमतौर पर टैन्डर के नियतन के पश्चात् 33 के.वी. उपकेन्द्र के निर्माण में 18 महीने का समय लगता है।

बरालू- उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

झुप्पाकलां- मीठी उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 6 महीने के अन्दर की जानी सम्भावित है।

Abhiyana for Canal Water

*215 **Smt. Geeta Bhukal :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the water does not reach upto the tail of Bata

Minor, Chaushala Minor, Sirsa Parallel of the Kalayat Constituency for the last 3-4 years even then abiyana for canal water is being realized ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to waive off such kind of abiyana ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) नहीं श्रीमान जी। आबियाना सिंचित क्षेत्र के मापने उपरांत वसूला जाता है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Opening of Government College for Girls at Bapoli

***273. Shri Bharat Singh Chhokar :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College for Girls in village Bapoli; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री श्री फूलचंद मुलाना : नहीं, श्रीमान, जी।

Sewerage Water of Haluwas & Prahladgarh Villages

***237. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Minister for Public Health be pleased to state :—

(a) whether the Government is aware of the fact that the sewerage water is not only destroying the cultivable land of about 450 acres of Haluwas and Prahladgarh villages of district Bhiwani but also it has become health hazardous for the people of the said villages;

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to save the aforesaid land from the sewerage water; and

(c) whether it is also a fact that the farmers have not been given compensation of the aforesaid land which was acquired for the construction of Katcha Nala?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) श्रीमान जी, केवल बरसात के मौसम में ही कुछ सीवरेज का पानी बरसाती पानी से मिलकर इन गांवों की जमीन पर फैलता है। वैसे यह पानी किसानों द्वारा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) इस पानी को रोक कर हालूवास माईनर तथा डाणा नरसाण माईनर के माध्यम से

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

सिंचाई के उपयोग के लिए सिंचाई विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) किसानों की कोई जमीन कच्चा नाला बनाने के लिए अधिग्रहीत नहीं की गई है। इसलिए मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं थी।

Generation of Power

***232. Shri Shadi Lal Batra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the quantum of electricity in Mega Watt was being generated by the State as well as the demand at the time of inception of the Haryana State i.e. 1st November, 1966;

(b) the efforts/steps initiated and completed by the previous Governments during their tenure regarding generation of power in the State from 1st November, 1966 to March 2005 ; and

(c) details of the plans of present Government to make up the deficiency between the demand and supply of the electricity in the State?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हरियाणा राज्य की स्थापना अर्थात् 1 नवम्बर, 1966 के समय हरियाणा राज्य द्वारा 29.425 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा था तथा लगभग 313.50 मैगावाट बिजली (हरियाणा राज्य के हिस्से के तौर पर) बीबीएमबी से ली जा रही थी जिसके अनुसार हरियाणा राज्य के पास 343 मैगावाट की कुल उत्पादन क्षमता उपलब्ध थी तथा उस समय लगभग 134 मैगावाट बिजली की मांग थी।

(ख) पिछली सरकारों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में 1 नवम्बर, 1966 से मार्च, 2005 तक राज्य में बिजली उत्पादन के लिए उठाए गए तथा पूरे किए गए प्रयत्न/कदमों के परिणामस्वरूप राज्य की उपलब्ध उत्पादन क्षमता लगभग 343 मैगावाट से बढ़कर 4033 मैगावाट हो गई है। कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता में से मार्च, 2005 तक हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन के हरियाणा स्थित उत्पादन केन्द्रों से 1587.4 मैगावाट की उत्पादन क्षमता थी।

(ग) वर्तमान सरकार राज्य में बिजली की मांग तथा पूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए यमुनानगर में 600 मैगावाट क्षमता का कोयला आधारित प्लांट लगा रही है तथा राज्य में सरकारी/निजी क्षेत्र में, लगभग 4000 मैगावाट क्षमता के गैस/कोयला आधारित प्लांट लगाने की योजना बना रही है। सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल जैसे राज्यों के साथ संयुक्त रूप से पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

Opening of Purchase Centre at Dhandh

* **289. Shri Kulbir Singh :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a wheat purchase centre at Village Dhandh in District Fatehabad ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्रमोहन) : श्रीमान जी,

(क और ख) गांव ढाण्ड, जिला फतेहाबाद सीजन, 2006 से खरीद केन्द्र खोलने का निर्णय लिया जा चुका है।

Irregularities in the Recruitment

***253. Smt. Kiran Chaudhary :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there has been any irregularties committed in recruitment to the post of different categories of various departments of Haryana Government on the recommendation of HSSC during the last regime of previous Government; if so, the details thereof togetherwith the action taken in this regard ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया बारे चल रही तीन जांचें प्रारंभिक आंकलन के आधार पर चौकसी विभाग द्वारा की जा रही हैं। इनका सम्बन्ध प्लांट अटैंडैंट्स, मोटर व्हीकल मैकेनिक और डप वन रेंजर के पदों के चयन से है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा डप निरीक्षक के पद के चयन से सम्बन्धित मामला केन्द्रीय अन्वेषक ब्यूरो को जांच के लिए भेजा हुआ है।

Delivery Huts

***305. Kumari Sharda Rathore :** Will the Minister for Health be pleased to state the district-wise total number of delivery huts constructed by the Health Department in the State so far togetherwith the number of more delivery huts are proposed to be constructed in near future?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : ब्यान सदन के पटल पर रखा गया है।

ब्यान

राज्य में खोले गए प्रसूति गृहों की संख्या 135 है। जिलेवार यह संख्या पंचकूला (7), अम्बाला (3), कुरुक्षेत्र (7), यमुनानगर (4), करनाल (10), कैथल (13), पानीपत (6), सोनीपत (8), जीन्द (4), रोहतक (8) झज्जर (4), भिवानी (20), रिवाड़ी (10), नारनौल (5), हिसार (8), सिरसा (1), फतेहाबाद (1), फरीदाबाद (8), गुड़गांवा (2), तथा मेवात (6) हैं।

राज्य में कुल 300 प्रसूति गृह खोले जाने हैं। निकट भविष्य में 165 और प्रसूति गृह खोलने का प्रस्ताव है। जिलेवार ब्यौरा है : पंचकूला (3), अम्बाला (7), कुरुक्षेत्र (5), यमुनानगर (5), करनाल (5), पानीपत (10), सोनीपत (10), जीन्द (9), रोहतक (10) झज्जर (9), रिवाड़ी

[बहन करतार देवी]

(10), नारनौल (19), हिसार (8), सिरसा (16), फतेहाबाद (11), फरीदाबाद (6) तथा गुड़गांवा (22)।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Roads

7. **Shri Dharam Pal Singh Malik** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from Lath to Guhana via Bhainswal Kalan and Kailana Khas (Gohana) to Khanpur Kalan; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed ?

मुख्यमंत्री श्री (भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Releasing of Grant for C.H.C. Juan

8. Shri Dharam Pal Singh Malik : Will the Minister for the Health be pleased to state whether any grant has been sanctioned for the construction of new Building for C.H.C. Juan in district Sonepat; if so, the amount thereof togetherwith time by which the grant is likely to be released and utilized ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : जी, नहीं ।

Un-employed Persons Registered with Employment Exchanges of the State

9. Dr. Sushil Indora : Will the Minister for Labour and Employment be pleased to state the number of un-employed persons registered with employment exchanges in the state as on to-day?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : दिनांक 31-10-2005 को राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1055686 है।

Opening of the Branch of Haryana State Co-operative Society Bank at Ratta Kalan

11. Shri Naresh Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the branch of Haryana State Cooperative Society Bank has been shifted from village Ratta Kalan (Ateli Constituency) to Dongra Ahir village in Mohindergarh Constituency?

(b) if so, whether the Government will reconsider the matter for reopening the branch of the aforesaid Bank again in the village Ratta Kalan ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि० की राता कलां में कोई शाखा नहीं थी, यद्यपि वहां पर महेन्द्रगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा गांव राता कलां में थी जोकि वर्ष 1999 के दौरान महेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव दोगड़ा अहीर में स्थानांतरित की गई थी।

(ख) शाखा कार्यालय गांव राता कलां न तो सक्षम और न ही आसानी से पहुंचने लायक था, इसलिए महेन्द्रगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा गांव राता कलां में पुन: खोलने के मामले पर व्यावसायिक मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए पुन: विचार नहीं किया जा सकता।

Opening of I.T.I for Girls in Ateli

12. **Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I for girls at Ateli in district Mahendergarh ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : श्रीमान जी, नहीं।

Shortage of Staff in C.H.C. Ateli

14. **Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Health be pleased to state whether it is fact that there is shortage of staff and other facilities in Community Health Centre, Ateli; if so, the steps proposed to be taken by the Government to provide the required staff and other facilities ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : तथ्य यह है कि अर्ध चिकित्सा अमले (पैरा मैडीकल स्टॉफ) की कमी है। नर्सिंग सिस्टर का एक, स्टॉफ नर्स के पांच तथा औषधाकारक का एक पद रिक्त है। भर्ती की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है जिसमें दंत चिकित्सा भी शामिल है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत में प्रसूति कक्ष एवं ऑप्रेशन थियेटर का निर्माण किया जा रहा है। जिला नारनौल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अटेली का चयन ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक के अनुसार उन्नयन के लिए किया गया है जिससे चिकित्सा एवं शल्य आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी।

Desilting of Canal/Minors in the State

15. Shri Naresh Yadav : Will the Minister of Irrigation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the canals and minors in the State during the current financial year togetherwith the budget provided for the repair and desilting of the said canal/minors for the current financial year alongwith the name of works on which the budget has been spent so far ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : जी हां, श्रीमान जी। नहरों/रजबाहों के अंतिम छोर पर पानी पहुंचाने के लिए जहां आवश्यक व सम्भव हो उसकी गाद निकालने व आन्तरिक सफाई का कार्य उस नहर/रजबाहे के बंद होने की अवधि मे किया जाता है। चालू वित्त वर्ष जोकि 2005-06 है, के दौरान नहरों व रजबाहों की मरम्मत करने व गाद निकालने तथा नलकूपों की मरम्मत के लिए 45.54 करोड़ रु० के बजट का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान 27.54 करोड रु० के बजट का प्रावधान किया गया था। आज तक नहरों/रजबाहों के रखरखाव, मरम्मत व गाद निकालने के लिए 15.41 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। अनैक्श्चर-I पर पूरी सूचना संलग्न है।

कुल 15.41 करोड़ रु० के खर्चे में से 8.07 करोड़ रु० गाद निकालने के कार्य पर खर्च किए गए तथा शेष रखरखाव पर खर्च किए गए हैं।

महान् परदर्शिता एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) के अधीन समितियों का गठन किया जा रहा है जो कि चैनलों की सफाई के कार्यों की देखभाल करेंगी जिसमें कार्यकारी अभियन्ता (सिंचाई) तथा सम्बन्धित क्षेत्र से पांच गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होंगे। इस विषय में जारी की गई हिदायतों की प्रति अनैक्श्चर-II पर संलग्न है।

Annexure-I

Statement showing budget/Expediture under head 2701 plan/non-plan O&M

(Rs. in lacs)

S. No.	Particulars	Financial Year 2004-2005		Financial Year 2005-2006	
		Final Budget	Expenditure	Original Budget	Expenditure (upto 30.11.2005)
	Non-Plan				
1.	WJC Maintenance	465.00	770.59	1903.91	393.38
2.	MPR Maintenance	239.00	305.60	650.09	239.26
3.	2701 Plan O&M	2050.00	1835.16	2000.00	908.50
	Total	2754.000	2911.35	4554.00	1541.14
	Say Rs. in Crore	27.54	29.11	45.54	15.41

Annexure - II

No. 1593-1663 Coord Dated 17-11-05

To

All Chief Engineers,
Irrigation Department, Haryana,
Panchkula.

Subject :— Internal Clearance of Irrigation Channels.

It has been decided by Hon'ble Chief Minister that a Committe be set-up under each SDO (Civil) comprising Xen/Irrigation concerned and 5 non official members from the area as indicated below :—

SDO (Civil) Chairman

Xen/Water Services Divn. Member Secretary

5 Non Official Members

(i) Chairman Panchayat Samiti of Sub Divn. HQrs.
-Ex-officio member (non official)

(ii) One member Panchayat Samiti
To be Co-opted by SDO (Civil)

(iii) Three Sarpanches of Sub Division
To be Co-opted by SDO (Civil)

This committee is to be informed in advance about the details of the programme of clearance of irrigation channels and a certificate is to be recorded by the committee to the clearance of the channels has been done in a satisfactory.

Sd/-
Chief Engineer/coopted,
Irrigation Department, Haryana.
Panchkula.

CC:

1. The Financial Commissioner and Principal Secretary to Govt. Haryana, Irrigation Department, Chandigarh for kind information please.
2. All Deputy Commissioners, Haryana for information and necessary action. SDO (Civil) may be asked to form a committee as indicated above for carrying out internal clearance of channels and report of the committee to be sent to the office of Engineer-in-Chief. Irrigation Department, Haryana Sinchai Bhawan, Panchkula.
3. All Superintending Engineers, Water Services Circles, Haryana for information and strict compliance.

Waiving of Outstanding Electricity Bills

21. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise details of the small scale industries of the rural areas which have taken the benefit of the outstanding electricity bill waiving scheme ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : यह छूट योजना लघु उद्योगों पर लागू नहीं है।

Charges of Bhakra Canal Water

22. Dr. Sushil Indora : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the per acre rate of water being charged by the Government for supplying of Bhakra Canal Water to farmers for irrigation purpose, togetherwith the date these were received ; and

(b) the details of the total amount of the aforesaid charges has been received/recoverd by the Government till date ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) भाखड़ा नहर का पानी जो किसानों को सिंचाई के उद्देश्य से दिया जाता है का आबियाना सरकार द्वारा 27 जुलाई 2000 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वसूला जाता है। आबियाना अधिसूचना जारी होने की तिथि से वसूला जा रहा है। रबी 2003-2004 की फसल का आबियाना वसूल किया जा चुका है।

(ख) भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डलों से वसूल की गई राशी का विवरण निम्न प्रकार से है —

वर्ष	वसूल की गई राशी (करोड़ रुपयों में)
2000-01	14.39
2001-02	13.16
2002-03	18.13
2003-04	18.17
2004-05	9.60 (केवल रबी 2003-04 के लिए)

Construction of Bhakra Link

24. Dr. Sita Ram : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Canal in the State i.e. Bhakra Link Canal; if so, the time by which the said Canal is likely to be completed ; and

(b) the detail of the area to be irrigated by aforesaid Canal and the amount to be spent on its construction ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) जी हां, श्रीमान जी। नहरी पानी के समान वितरण हेतु विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के लिए सरकार ने भाखड़ा में लाईन-हांसी ब्रांच-बुटाना ब्रांच बहु-उद्देशीय चैनल के निर्माण का निर्णय लिया है। यह कार्य वर्ष 2006-07 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) भाखड़ा मेन लाईन-हांसी ब्रांच-बुटाना ब्रांच बहु-उद्देशीय सम्पर्क नहर की परियोजना 259 करोड़ रु० की लागत से स्वीकृत की जा चुकी है। इसके क्रियान्वयन के उपरान्त यह पूरे 16 जिलों अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जीन्द, हिसार जिले का हांसी उपमण्डल भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत व पानीपत इत्यादि को लाभान्वित करेगा।

घोषणा—

(क) अध्यक्ष द्वारा—

चेयरपर्सनज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Buisness in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairperson :—

1. Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A.
2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A.
3. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.
4. Shri Balwant Singh Sadhura, M.L.A.

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a letter from

Shri Om Parkash Chautala, M.L.A., which is as under :—

> "Due to my illness, I am unable to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha commencing from 14th December, 2005. Therefore, I may be permitted accordingly."

Question is—

> That permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried

(ख) सचिव द्वारा—

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make the announcement.

श्री सचिव : मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2004 तथा जून, 2005 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

September Session, 2004

*The Kurukshetra Shrine Bill, 2004

December Session, 2004

The Haryana Health Care Workers Bill, 2004

June Session, 2005

1. The Haryana State Industrial Security Force (Repeal) Bill, 2005.
2. The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 2005.
3. The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Bill, 2005.
4. The Haryana Muncipal (Amendment) Bill, 2005.
5. The Haryana Muncipal Corporation (Amendment) Bill, 2005.
6. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2005.
7. The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2005.
8. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2005.

बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee meet at 11.00 A.M. on Wednesday, the 14th December, 2005 in the chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilist in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9.30 A.M. and adjorned at 1.30 P.M. without question being put.

However, on Wednesday, the 14th December 2005, the Assmebly shall meet at 2.00 P.M. and adjorned at 6.30 P.M. without question being put.

The Committee also recommends that on Monday the 19th December, 2005 the assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjorned after the conclusion of the business entered in the list of buisness for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the buisness from 14th, 15th and 19th December, 2005 be transacted by the Sabha as Under :—

Wednesday, The 14th December, 2005 (2.00 P.M.)	1. Obituary References. 2 Question Hour. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 5. Legislative Business.
Thursday, the 15th, December, 2005 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 121 for suspension of Rule 30. 3. Official Resolution
Friday, The 16th, December, 2005	No-sitting.
Saturday, The 17th, December, 2005	Holiday.
Sunday, The 18th, December, 2005	Holiday.
Monday, The 19th, December, 2005 (2.00P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting. 3. Motion Under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die. 4. Papers to be laid, if any 5. Legislative Business. 6. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the Firsrt Report of the Business Advisory Committee.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Dr. Sushil Indora : Speaker Sir, I have requested you that there is a provision of Zero Hour. I want to raise some issues in the Zero Hour. This is the duty of the

[Dr. Sushil Indora]

opposition members, they should raise some issues in the interest of the public. स्पीकर साहब, मैंने बी.ए.सी. की रिपोर्ट पढ़ी है। आपने कल का नॉन ऑफिशियल डे ऑफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सैशन के दिन बढ़ावें क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। हमारे पास एस.वाई.एल. का मुद्दा है और सचिन तेन्दुलकर ने जो क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड कायम किया है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जिन सांसदों ने घोटाला किया था उनके बारे भी डिस्कशन होनी चाहिए। स्पीकर सर, इतना थोड़ा समय सदन के लिए नहीं रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम हाउस को पूरे समय तक चलायेंगे और हर सदस्य को बोलने का मौका दिया जायेगा। स्पीकर सर, एस.वाई.एल. का मुद्दा है, एजूकेशन का मुद्दा है और लॉ एण्ड ऑर्डर की बात है और बेरोजगारी का मुद्दा है। हम इन मुद्दों पर बोलना चाहते हैं (शोर)

Mr. Speaker : That is not the issue. Indora Ji, sit down please. Hon'ble Parliamentary Affairs Minister wanted to say something.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं इन्दौरा जी और माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि जिन माननीय सदस्यों ने जो भी मुद्दे दिए हैं हमने उन सभी कागजों को एग्जामिन किया है लेकिन विपक्ष ने एक भी मौशन हाउस की कन्सीडेशन के लिए नहीं रखा। अगर विपक्ष एस.वाई.एल. के प्रति इतना ही चिन्तित होता और किसी मुद्दे पर चिन्तित थे तो इन्होंने रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डैक्ट ऑफ बिजनैस में प्रावधान है आप उसके तहत नोटिस दीजिए। इन्दौरा साहब अपने नेता की तरह लिखने-पढ़ने से महरूम नहीं हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपने विधान सभा सक्रेट्रिएट को कोई नोटिस कोई कागज किसी मुद्दे के बारे में दिया ही नहीं है। अगर आपने कोई कागज दिया ही नहीं तो हम उसको कन्सीडर कैसे करेंगे ? (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Indora, please listen (Interruptions) Would you please listen? (Interruptions) Indora Ji, you have given a Calling Attention Motion regarding shortage of supply of Power. (Interruptions) Mr. Indora, please listen. (Interruptions) Would you please listen. (Interruptions) Nothing to be recorded.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर * * * *

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वाक आउट

(इस समय माननीय सदस्य डॉ० सुशील इन्दौरा सहित उनकी पार्टी के अन्य सदन में उपस्थित सदस्य सदन की वैल में आ गये)

Mr. Speaker : Mr. Indora go to your seat. I am admitting what you are saying आप बात तो करने नहीं देते (Interruptions) Listen Mr. Indora. आपने यह बात क्रिएट

करनी है कि हमने हाउस में शोर मचाया ताकि लोग सुबह अखबारों में पढ़ लें। I appreciate it. (Interruptions) लेकिन मेरी विनती सुनो जो आपने काल अटैंशन मोशन दिया है regarding Shortage of supply of power, I have admitted it (Interruptions). What does you want ? Nothing more than this. सिर्फ शोर मचाने से बात नहीं बनेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, पिछली सरकार में यह रवायत थी कि जब भी हम कोई मोशन दिया करते थे तो उस समय की सरकार उसको उसी समय रिजैक्ट कर दिया करती। अब इनकी यह एतराज है कि इनका मोशन एडमिट क्यों कर लिया (शोर)।

Mr. Speaker : Listen Mr. Indora. I have admitted your Calling Attention Motion. It will come (Interruptions). आप अपनी जगह पर जाकर बात करो। आप यहां हाउस की वैल में खड़े होकर बोल रहे हैं मैं यहां से आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। I am not going to hear you from here. Go to your seat first. I will not hear you. Do not create the scene. You are not going to gain anything (Interruptions). No, I am not going to hear you. Go, go.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हमारी पार्टी के सभी सदन में उपस्थिति सदस्य सदन से वॉक आउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वॉक आउट कर गये)

सदन की मेज पर रखे गए / पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, I beg to lay on the Table.

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment and Validation) Ordinance, 2005, (Haryana Ordinance No. 4 of 2005).

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to re-lay on the Table.

The Town and Country Planning Department Notification No. DS-II-05/4737, dated the 23rd May, 2005, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2005, as required under section 24 (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 37/Const/Art 320/2004, dated the 14th December, 2004, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Regulations, 2004, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 38/Const/Art 320/2004, dated the 14th December, 2004, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 2004, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 59/H.A. 9/1979/S.8/2005, dated the 1st August, 2005, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules, 2005, as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 83/H.A. 6/2003/S.60/2005, dated the 28th October, 2005, regarding the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2005, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 91/H.A. 6/2003/S.60/2005, dated the 29th November, 2005, regarding the Haryana Value Added Tax (Fourth Amendment) Rules, 2005, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Town and Country Planning department Notification No. DS-II-05/11143, dated the 13th September, 2005, regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Rules, 2005, as required under section 24 (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 3/Const./Art. 320/2005, dated the 15th June, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 5/Const./Art. 320/2005, dated the 20th June, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 18/Const./Art. 320/2005, dated the 29th November, 2005, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2005, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2001-2002, as required under section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2002-2003, as required under section 19-A(3) of Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2003-2004, as required under section 19-A(3) of Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Gramodyog Board for the year 2001-2002, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2004-2005 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2004-2005 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2005 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विधान कार्य—

दि हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 2005

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 2005.

Sir, also beg to move—

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause - 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause - 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause -1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि कुरुक्षेत्र शराइन (रिपील) बिल, 2005

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move —

> That the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

डॉ० सुशील इन्दौरा (एस.सी., ऐलनाबाद) अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जो कुरुक्षेत्र शराइन रिपील बिल लेकर आए हैं, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। इस बिल के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के साधुओं, संतों तथा धार्मिक संस्थाओं ने कुरुक्षेत्र पूजा स्थल अधिनियम, 2004 को लागू करने के विरूद्ध प्रतिवेदन दिए हैं। विभिन्न साधुओं, सन्तों तथा धार्मिक संस्थाओं की आपत्तियों एवं प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुरुक्षेत्र पूजा स्थल अधिनियम, 2004 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। यानि कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साधु-सन्तों का एक रिप्रजैंटेशन मिला। इस देश में साधु-संतो का बहुत मान सम्मान है और हमें साधु-संतों का मान सम्मान करना भी चाहिए लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें साधु-संतों का एक प्रतिवेदन मिला और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा ठीक है हम इसको निरस्त करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार की देखरेख में हों तो ठीक रहता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता स्वयं कहते हैं कि हम पारदर्शी सरकार लाएं हैं, भय, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि पारदर्शिता बनाए रखने की बात है तो इनको इस बिल के बारे में गहराई से सोचना चाहिए था। ऐसे मामले में दूसरे किसी ट्रस्ट या आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है जितनी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इस बात को देखती है कि इसका डिवैल्पमैंट और मैनेजमैंट कैसे हो सकता है। कुरुक्षेत्र का महत्व केवल हरियाणा प्रदेश के लिए ही नहीं है बल्कि यह एक धार्मिक स्थल है और इसका महत्व पूरे देश में है। दूर-दूर से टूरिस्ट वहां पर आते हैं जिस से इस स्थल में उनकी धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन सरकार से मेरा एक विशेष निवेदन है कि जिस प्रकार सरकार ने माता मन्सा देवी के मन्दिर की तरफ विशेष ध्यान दे कर वहां का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था और आज वहाँ पर जब जाते हैं तो उसके डिवैल्पमैंट, प्रबन्धन तथा रख-रखाव को देखते हुए सभी लोग प्रभावित होते हैं कुछ वैसा ही प्रबन्ध वहाँ पर भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय जब सांसद थे वे माता वैष्णों देवी गए थे उस समय वहाँ का प्रबन्ध प्राइवेट हाथों में था और उन्हें वहां के हालात के बारे में पूरा ज्ञान है लेकिन जब आज वहां पर जाते हैं तो वहां के डिवैल्पमैंट और प्रबन्धन को देख कर कितना अच्छा लगता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गुड़गांव शीतला माता का मन्दिर है जहाँ पर एक विशेष रस्म होती है लोग वहां पर बड़ी संख्या में जाते हैं। पहले वहाँ पर बहुत बुरी हालत होती थी। मिसमैनेजमैंट के कारण वहाँ पर कोई चीज नहीं मिलती थी और लोग धक्के खाते रहते थे। आज उसका डिवैल्पमैंट हुआ है और वहाँ का प्रबन्धन तथा रख-रखाव इतना अच्छा है और उस मन्दिर की भव्यता को देखते ही बनती

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि सरकार इस बात को दोबारा से देख ले और हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। इस कमेटी के द्वारा सारी चीजों की पूरी तरह से जाँच कर ली जाए। हाउस की कमेटी इस बात को भी देख ले कि वाकेय ही जो रि-प्रैजैंटेशन्ज दी गई हैं वह सही हैं और किस हद तक वायबल हैं छानबीन करने के बाद यह हाउस कमेटी सिम्पेथैटिकली तथा गहराई से अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट देगी सरकार उसके अनुसार कार्यवाही कर ले तो ज्यादा उचित होगा। यह जरूरी नहीं है कि यह निवेश आज ही किया जाए, इसमें निवेश करने की इतनी जल्दी क्या है। हम यह सोचते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र का एक विशेष नाम और स्थान है, उसके धार्मिक स्थलों का अपना नाम है। इन धार्मिक स्थलों की इज्जत सारे संसार में होती है। उसका वह मान-सम्मान बना रहे इसलिए हाउस की कमेटी बना कर इस पर पुनर्विचार कर ले और हाउस की कमेटी की जो रिकमैंडेशंज हों उस पर कार्यवाही कर ली जाए।

श्री रमेश कुमार गुप्ता (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो बिल कानून बनाने के लिए लाया गया है यह बिल जन भावनाओं के विपरीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र में आए थे तो उस समय उनको कई रि-प्रैजैंटेशन्ज दी गई थीं जिनमें से कुछ रि-प्रैजैंटेशन्ज साधुओं की ओर से दी गई थी और आम नागरिकों की तरफ से अलग रि-प्रैजैंटेशन्ज दी गई थी और आम नागरिक यह चाहते थे कि इन मन्दिरों का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर जो मन्दिर हैं उनमें कोई भी मन्दिर ऐसा नहीं है जहां पर बाहर से भीड़ इक्ट्ठी हो रही हो। ये सभी मन्दिर कुरुक्षेत्र के आस-पास के लोगों तक ही सीमित हैं और उनके बारे में सरकार द्वारा लिया गया फैसला सरासर गलत था और जन-भावनाओं के विपरीत था इसलिए इन मन्दिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों श्री इन्दौरा जी तथा गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म से सम्बन्धित धार्मिक स्थलों को लेकर चाहे वे धार्मिक स्थल किसी भी धर्म के हों उनके सही संचालन में कांग्रेस पार्टी के स्तर पर हमेशा पहल हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने याद दिलाया है कि माता मनसा देवी कम्पलैक्स तथा कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड दोनों ही इस प्रान्त को कांग्रेस पार्टी की सरकार की देन हैं जिसकी वजह से इन स्थलों का सुसंचालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी नीयत के अन्तर्गत ही इनकी सरकार कुरुक्षेत्र शराईन एक्ट, 2004 लेकर आई थी जिसमें केवल कुरुक्षेत्र की ही बात नहीं थी यह प्रावधान किया गया था कि कुरुक्षेत्र में 48 कोस के अन्दर जो मन्दिर हैं उनके सरकारीकरण की बात थी। माननीय इन्दौरा साहब ने शायद उस कानून को पढ़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून को लेकर काफी विवाद उठा था जिसमें अध्यक्ष महोदय आपका क्षेत्र पेहवा भी था। उसमें जितने भी मन्दिर थे, उनमें जहां साधु-सन्तों पुजारियों तथा आम आदमी की छोटे-छोटे मन्दिरों में आस्था थी और जिनका संचालन और पूजा अर्चना वे स्वयं किया करते थे उनका सरकारीकरण कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी आदरणीय इन्दौरा जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण था कि एक वर्ष तक वह कानून बना रहा लेकिन सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। इस कानून को इनकी सरकार इसलिए लागू नहीं कर पाई क्योंकि इसको लेकर जन भावनाओं में व्यापक आक्रोश था। सरकार के इस कदम के खिलाफ लोगों के अन्दर गुस्सा और आक्रोस था इसलिए सरकार इस कानून को अमली जामा नहीं पहना सकी। वर्तमान सरकार के गठन के बाद अलग-अलग सदस्यों ने इस बारे में

16.00 बजे

माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। साधु सन्त और आम लोग भी इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास आए। उन्होंने कहा कि यह कानून न न्यायसंगत है और न ही

सही है। इससे उनको अपने-अपने धर्म को मानने में और उनके रीतिरिवाजों में बाधा आएगी। यह सोचकर ही सरकार कानून को लेकर आई है, यह बिल लाई है और मेरा आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध है कि इस बिल को पास किया जाए। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is —

That the Kurukshetra Shrine (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause -2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause -1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the bill be passed.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी को सुझाव दिए थे उस बारे में मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है और न ही उनको माना है। हमने इनसे कहा था कि आपको इतनी जल्दी क्या है

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी इन्दौरा जी ने जो कहा है इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि हम यह बिल किसी एक ज्ञापन पर ही नहीं लाए हैं। आपकी जब सरकार थी उस वक्त आप अधिग्रहण का बिल लाए थे और हमने उस वक्त भी अपोजिशन में होते हुए इसका विरोध किया था। हमने इस बारे में लोगों से वायदा किया था और हमने इस वायदे को निभाया है।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा पंचायती राज (अमैण्डमैण्ट) बिल, 2005

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2005.

Sir, I also beg to move —

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डॉ० सुशील इन्दौरा (एस.सी., ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी कांग्रेस पार्टी का व्याख्यान करते हैं तो कई बार दिल में एक टीस सी उठती है। कांग्रेस के राज में कितने घोटाले, अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, मैं भी कल टी. वी. देख रहा था और घोटालों का जो हाल हुआ है, आप इस बात को छोड़ दीजिए। Please come on the Bill.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारे संरक्षक हैं। जब उनकी तरफ से हमारे प्रति कोई कमैन्टस आते हैं तब भी आपको हमारा ध्यान रखना चाहिए और हमें भी उनको कुछ कहने का मौका देना चाहिए। (विघ्न)

वित्तमंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) अध्यक्ष महोदय, हम सदन में आज चार बिल अमैंडमैंट के लिए लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है की अपोजीशन का एक-एक सदस्य इसके बारे में बोलेगा। और अपने विचार सदन में रखेगा। इससे लोगों को पता चलेगा कि कितने बढ़िया ये बोलते हैं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी वक्त के तकाज़े का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। (विघ्न) मैं इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था और वित्तमंत्री जी से पूछा था कि आपने जो एक रोजगार सम्मेलन किया था और उसमें आपने लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। क्या आपने वायदा पूरा किया है? (विघ्न)

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) अध्यक्ष महोदय, ये अमैंडमैंट क्या लाना चाहते हैं इनको इस बारे में बताना चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी यहां पर बैठे हैं। इन्होंने एक बात अपने रोजगार सम्मेलन में कही थी। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कुरुक्षेत्र के शहरी लोगों से वायदा किया था इसी कारण आज इन्होंने उस वायदे को निभाया है तो हमारे वित्त मंत्री जी ने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों से रोजगार रैली में एक वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे। लेकिन आज जो पंचायत बिल यहां पर लाया जा रहा है इससे तो यह रोजगार छिनने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो ग्राम के एक आदमी को रोजगार देने का काम किया था। अगर वह ओवर ऐज हो जाए तो भी उसको रोजगार दिया जाता था। इससे सरकार को भी बहुत फायदा था क्योंकि इससे एक लिंक चैनल बन गया था। वह आदमी गांव के लोगों की भावना को, उनकी बातों को अच्छी तरह समझता था क्योंकि वह घर-घर में जाता था और वह समाज में हर वर्ग के लोगों से भलीभाँति परिचित होता था।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : सर, आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिला परिषद् के तहत टीचर्ज रखे लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली। इन्होंने ग्राम सहायक रखे लेकिन उनको भी तनख्वाह नहीं मिली तो बिना तनख्वाह के इन्होंने रोजगार दिया था जबकि हम तो तनख्वाह देंगे। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमने उनको तनख्वाह पर रोजगार दिया था। हमने उनको रोजगार इसलिए दिया था ताकि उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके, आम आदमी का गुजारा हो सके लेकिन शिक्षा मंत्री बिना तनख्वाह रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने ऊंचे ओहदे पर रहने वाले पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं, क्या आज के दिन कोई आदमी बिना पैसे के रोजगार करता है ? (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी पार्टी के जिम्मेवार डिप्टी लीडर हैं लेकिन ये एक ऐसा ब्यान दे रहे हैं जो बिल्कुल असत्य है। इन्होंने कहा कि इन्होंने रोजगार दिया था। अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षा मंत्री की स्टेटमैंट को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने उनको पूरा पैसा दिया था, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में फैक्चुअल पोजीशन बताना चाहूंगा। ये इस बारे में बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। केवल 1884 बच्चे थे जिनको इनकी सरकार ने मात्र तीन हजार रुपये देना था लेकिन 255 लाख रुपये उनका बकाया है इसलिए असत्य बोल रहे हैं, सरासर असत्य इस सदन के अन्दर बोल रहे हैं। और सदन को बरगला रहे हैं।

Mr. Speaker : Mr. Sujewala ji, you will get the opportunity to reply all this.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी समझदार आदमी हैं इनको पता होना चाहिए कि जब कोई बोल रहा हो तो उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए और टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें किसी जनसभा में तो अच्छी लगती है लेकिन यहां पर नहीं। यह सदन की मर्यादा का ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे खुद कहा है कि आपकी ही इस बारे में जिम्मेवारी बनती है।

Mr. Speaker : Mr. Indora ji, would you please proceed ? अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं दूसरे आदमी को बोलने के लिए कॉल कर देता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरा इस कारण लिंक कट जाता है। मैं यह कह रहा था कि हमने गांव के एक ऐसे आदमी को रोजगार दिया जोकि सरकार

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

के लिए भी फायदेमंद था क्योंकि वह सरकार को सही रिपोर्ट देता, वह थाने और तहसील को भी सही रिपोर्ट देता। ऐसा भी नहीं है कि वह अनपढ़ आदमी था वह तो पढ़ा लिखा आदमी था। हमारे ऊपर पिछली बार भी यह लांछन लगाया गया था कि हमने तीस हजार लोगों को नौकरियों से हटा दिया था। यह ऑन रिकॉर्ड की बात है कि कोई 30 हजार की बात करता था, कोई 35 हजार की बात करता था और कोई कुछ और बातें करता था। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी है कि हमारी सरकार ने सरकारी तौर पर कोई भी आदमी नहीं हटाया था। यह बात आज एक बार फिर सिद्ध हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पिछली बार जो हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के लोग निकाले थे तो उस समय इन्होंने कहा था कि जब भी पुलिस में भर्ती होगी तो सरकार इनको अडजैस्ट करेगी लेकिन आज तक भी एक आदमी अडजैस्ट नहीं हो पाया है। अगर ऐसा हुआ हो तो बताएं। मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहूँगा कि मटका चौक पर जाकर देखो, या कल आप दिल्ली में होते तो वहां देखते (शोर एवं विघ्न) *******

Mr. Speaker : It is not to be recorded. I will not permit it. आप के पास बोलने के लिए मैटर नहीं है तो आप बंद करो। (शोर एवं विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker : I will not allow it. Now, next member will speak. (Interruptions).

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की बैल में आ गए और जोर-जोर से नारे लगाने लगे।

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। (शोर एवं विघ्न) आपने बहुत वायदे किए, बहुत वायदे पूरे किये और लोगों ने भी बहुत पूरे कर दिए। Go to your seats. जब आप उधर थे तब भी नहीं बोलने देते थे और अब आप इधर हो तब भी वही हाल है। (शोर एवं विघ्न) पूरी कार्यवाही हो गई, सौ फीसदी हो गई, बचा ही कुछ नहीं है। (शोर एवं विघ्न) Mr. Indora, This is not the way. यह कोई तरीका है, मैं पोलाइटली बात कर रहा हूँ, ठीक ढंग से बात कर रहा हूँ तो आप ऐसे कर रहे हैं, (शोर एवं विघ्न) आप क्या बात करते हैं, मखौल बनाया है, और क्या है। (शोर एवं विघ्न) आप अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाइए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तब तक नहीं जाएंगे। (शोर एवं विघ्न) ******

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. This is very very unfortunate. Don't try to create scene. (Interruptions) सुरजेवाला साहब, आप शुरू करो।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज अमैंडमैंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि जो इनेलो की पिछली सरकार थी उसने ग्राम सहायकों के नाम से ग्राम भक्षक इनकी पार्टी के जो अपराधी कार्यकर्ता थे इन्होंने वह लोग भर्ती किए। (शोर एवं विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं विघ्न) ******

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : If you want to sit then sit down, If you want to go then you can go. (Interruptions) Nothing to be recorded. Now, Shri Shamsher Singh Surjewala may speak.

श्री एस. एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने ग्राम पंचायतों के ऊपर खामखाह का एक नाजायज बर्डन डाला। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि सरकार ने इन पोस्टों को खत्म किया है और सरकार ने ग्राम पंचायतों को इस बर्डन से उभरने का मौका दिया है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ग्राम सचिव की क्वालिफिकेशन कम से कम बी०ए० या बी०एस–सी० होनी चाहिए। स्पीकर सर, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि ग्रामीण सचिव की क्वालिफिकेशन को बढ़ाकर कम से कम बी०ए० या बी०एस–सी० करना चाहिए। वर्तमान एक्ट में जो ग्रामीण सचिव लगाए थे सरकार ने उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की थी और अनपढ़ लोगों को ग्रामीण सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। वे पंचायत को कोई गाईड नहीं कर सकते थे। स्पीकर सर, मैं सरकार से यह भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों की प्रोपर्टी जिसमें शामलात लैण्ड, रास्ते, चौक, चौराहे, जोहड़ कुएं और दूसरी पब्लिक इस्तेमाल की जमीन हैं उनके नक्शे बनाने चाहिए क्योंकि बेशुमार मुकदमे आज पंचायत और व्यक्तियों के खिलाफ चल रहे हैं क्योंकि इस समय पंचायत की जो प्रापर्टी है उनके नक्शे मौजूद नहीं हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Sita Ram, please listen to me, आप जो कह रहे हैं वह बात प्रेस वाले लिख लेंगे।

श्री एस. एस. सुरजेवाला : स्पीकर सर, क्योंकि इस समय पंचायतों के पास कोई अख्तियार नहीं हैं। अफसरशाही पंचायती राज को पंगू बनाये हुए है। इसलिए सरकार को पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने चाहिऐं। पंचायत को स्वायत्त बनाना चाहिए ताकि रीयल सैंस में प्रजातंत्र का एक नमूना पेश हो सके। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : This is unfortunate (Interruptions) I am not going to expel you today. You continue shouting. ये लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। I am not going to expel you today. You continue shouting. ये लोग देखेंगे कि आप काम नहीं करने देते।

श्री एस. एस. सुरजेवाला : स्पीकर सर, सिवाय शामलात जमीन और चकौता के पंचायत के पास कोई आमदनी नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि पंचायत सरकार की ग्रान्ट पर निर्भर करती है। इसलिए यह उपाय करने चाहिए कि पंचायत के लिए नई किस्म की आमदनी जरनेट करें ताकि पंचायत अपने पावों पर खड़ी होकर गांवों की तरक्की के काम कर सकें। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को पास किया जाये। (शोर एवं विघ्न)

वॉक–ऑउट

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इस लिए हम सदन से वॉक ऑउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वॉक ऑउट कर गये)

दी हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट बिल, 2005 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause - 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause - 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is —

That Clause -1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the the Bill be passed.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन के नोटिस में एक महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूँ। माननीय विपक्ष के साथी सदन से वॉक ऑउट करके गये हैं। पिछली सरकार ने 2725 ग्रामीण विकास सहायकों की भर्ती मनमाने ढंग से और बदनीयति से की थी। जिसका नजारा पूरे हरियाणा ने देखा। वे केवल एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस समय विशेष समिति का तहसील लेवल पर गठन करके ये नियुक्तियां की गई थी और इन में से केवल 1884 ग्रामीण सचिवों ने ही ज्वायन किया था जबकि 841 ने ज्वायन करने से मना कर दिया था। इन ग्रामीण सचिवों को हर महीने 3000 रुपये प्रतिमाह की राशि ऑनरेरियम के रूप में देने का उस समय की सरकार ने फैसला किया था। आज विपक्ष के भाई बेरोजगारी के बारे में दुहाई दे रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड पर यह है कि उन ग्रामीण विकास सहायकों को 255 लाख रुपये भत्ते के रूप में देना था लेकिन उस समय की लोकदल की सरकार न वह नहीं दिया। वह आज तक बकाया है और वे ग्रामीण विकास सहायक इस बात को लेकर हाई कोर्ट में गये। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की सरकार ने फैसला किया है कि सरकार उनके भत्ते की एक-एक आना और पाई उनको देगी और यह 255 लाख रुपये की राशि उन ग्रामीण सचिवों को सरकार ने देने की उदारदिली दिखाई है। पंचायत सैक्ट्री का जो दफ्तर था उसको पंगु बनाने का सोचा समझा षडयंत्र था, आज हम उसको निरस्त कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों के सहायक के पद को खत्म कर दिया जाएगा। पंचायत सैक्ट्री जो थे जिनका डिमिनशन कॉडर बना दिया गया था वे गांव की तरक्की में काम करते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से दरखास्त करता हूँ कि इस कानून को पारित कर दिया जाए।

श्री नरेश मलिक (हसनपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि पिछली सरकार ने केवल पंचायतों को पंगु बनाने के लिए वह कानून बनाया था, कुछ एजैंट बना दिए थे, जब गांव की इलैक्टिड बोडी है, पंचायत है उसके साथ सैक्रेटरी पहले से ही सरकार ने दिए हुए थे। मेरा सरकार से और मंत्री महोदय को सुझाव है कि आज भी पंचायतों की स्थिति यही है। यह बिल तो ये ले आए हैं लेकिन इसमें थोड़े सुधार की गुजाइंश है। मैं भी सरपंच रहा हूँ, ब्लॉक समिति का चैयरमैन रहा हूँ इसलिए कहना चाहूँगा कि आज ग्राम पंचायत या सरपंच को अगर कोई अपनी एम.बी. भरवानी है तो पैसे चाहिएं, जे.ई. को पैसे चाहिए। ब्लॉक समिति के चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं कि वे बी.डी.पी.ओज. को कोई निर्देश दे सके। मेरा सरकार को सुझाव है कि पंचायतों और ब्लॉक समिति को कुछ अधिकार दिए जाएं ताकि जो भ्रष्टाचार इस स्तर पर चल रहा है जिसमें पंचायतों को गुजरना पड़ रहा है, खत्म हो सके। अन्त में मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ लेकिन साथ ही यह अनुरोध करता हूँ कि इस बिल में थोड़ा संशोधन करके पंचायतों को और अधिकार दिए जाएं।

Mr. Speaker : Question is —

That the the bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन बिल, 2005

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Industrial Promotion Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Haryana Industrial Promotion Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken into consideration at once.

श्री बलवंत सिंह (एस. सी.,सढौरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जो हरियाणा इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल लाए हैं उसमें चैप्टर 2 में 3 कमेटीज हैं, 5 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, 5 करोड़ से 30 करोड़ तक स्टेट लैवल पर और 30 करोड़ से ऊपर के लिए हाई पावर्ड परचेज कमेटियां बनी हुई हैं। आज भी जी०एम० डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बैठे हैं। स्टेट लैवल पर एच०एस०आई०डी०सी० काम कर रही है और हाई पावर्ड परचेज कमेटी भी बनी हुई है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हाई पावर्ड परचेज कमेटी बनी हुई है तो फिर इस दूसरी कमेटी के बनाने का क्या औचित्य है ? इसके बाद चैप्टर दो में क्लॉज 13 के अनुसार जब कमेटियां बन जाएंगी तो कमेटी के जो मैम्बर्ज हैं, चेयरमैन है या कोई भी सदस्य है, चाहे वे पब्लिक रिप्रैजेंटेटिव है या दूसरा कोई भी सदस्य है अगर उसकी वजह से कोई डिले होती है तो उस मैम्बर को कोई सजा का प्रोवीजन इस बिल में नहीं है। जबकि जो यूनिट हैं उसको गिलटी मानकर उसको सजा का प्रोवीजन इस बिल में है। ये दो मापदंड क्यों हैं ? इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर यूनिट कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिल सकती है तो कमेटी के चेयरमैन या मैम्बर की तरफ से कोई डिले होती है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों आदमियों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, धन्यवाद।

डॉ० सुशील इन्दौरा (एस०सी० ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल के जो ऑब्जेक्टस हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस बिल के जो ऑब्जेक्टस हैं उसमें एक बात कही गई है to promote the industrial development और उसके लिए to attract all investment of the multinational and बड़े औद्योगिक घराने हैं, उसमें कुछ क्लॉज ऐसी हैं जिसमें उनको प्रोटैक्शन नहीं है। जो व्यक्ति इण्डस्ट्री लगाता है वह पैसा उधार ले कर लगाता है या कहीं से लोन लेता है और इण्डस्ट्री लगाता है उसके लिए इसमें कोई प्रोटैक्शन नहीं है इसलिए इसमें ऐसा कुछ कानूनी प्रावधान रखा जाना चाहिए। जिस तरह से इस बिल में यह लिखा गया है कि जो मैम्बर्ज या चैयरमैन होंगे वे गुड फेथ में जो भी फैसला लेंगे that will be final और उसको कहीं पर भी चैलैंज करने का कोई प्रावधान नहीं है nothing is challengeable. एक गरीब आदमी कहीं से लोन ले कर इण्डस्ट्री लगाता है और गुड फेथ में कहीं पर उससे भी गलती हो सकती है, अगर किसी इण्डस्ट्रियललिस्ट से कोई गलती हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उस गलती को ठीक करने के लिए इस बिल में कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि वह व्यक्ति कोर्ट में जा सके

या उसे कहीं पर चैलैंज कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए कि गुड फेथ में उसके मैम्बर्ज या कमेटी के चेयरमैन से अगर कोई गलती होती है या इण्डस्ट्रियलिस्ट के साथ कोई ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ वह कोर्ट में जा कर अपनी बात कर सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक इण्डस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी कि हम विशेषतौर से इण्डस्ट्री को बढ़ावा देंगे जो Coordination between the labour in between the industries, in between the Government कोई ऐसा प्रोविजन हो कि वह अपनी बात को कानूनी तौर पर कह सके। लेकिन इसमें ऐसा कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस बिल में सुधार करके इसको लागू किया जाए तो यह सही कदम होगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हरियाणा प्रान्त में एक नई औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात करने के लिए हरियाणा इण्डस्ट्रियल परमोशन बिल, 2005 इस विधान सभा में हम लेकर आए हैं। जैसे इस बिल के ऑबजैक्ट्स एण्ड रीजन्ज मे लिखा है कि जो रैगुलेटरी फ्रेम वर्क इण्डस्ट्री लगाने के लिए, उसके स्पीडी इम्पलीमैंटेशन के लिए आज किसी भी प्रान्त के अन्दर इण्डस्ट्रीज में निवेश करने के लिए नए उद्योग लगाने के लिए यह एक जरूरी माप-दण्ड है। स्पीकर सर, आज सारे प्रान्त अपने-अपने प्रान्तों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा निवेदन करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो और ज्यादा से ज्यादा उद्योग वहां पर आएं इस तरह का प्रावधान करना चाहते हैं। हरियाणा प्रान्त में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में हमने यहां पर एक नई क्रान्तिकारी पहल की है। माननीय साथी श्री इन्दौरा साहब का जो सुझाव था मैं केवल उनकी जानकारी के लिए यहां पर बताना चाहूंगा कि This is an industrial promotion Bill. This is not to promote better relationship between the labour and industry. वह डिफरैंट ऐक्ट एण्ड डिफरैंट कानून है। स्पीकर सर, हरियाणा की सरकार ने विशेष प्रावधान किया है जो मोटेतौर पर कहा है कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर क्लीयरैंस कमेटी बनाई गई है अगर कोई उद्योगपति जो पांच करोड़ तक का निवेश करना चाहेगा वह आए और उसको सिंगल प्वायंट क्लीयरैंस इस बिल के माध्यम से हरियाणा की सरकार देगी। इसी प्रकार से पांच करोड़ से तीस करोड़ का निवेश अगर कोई लेकर आएगा तो प्रान्तीय स्तर की जो कमेटी है वह उसको सारी क्लीयरैंसिज देगी। एक ही जगह पर उसका निवेश 30 करोड़ रुपये से अधिक होगा तो हाई पॉवर क्लीयरैंस कमेटी सभी प्रकार की क्लीयरैंस वह उस उद्योगपति को देगी ताकि उसकी सभी जरूरीयात हम जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें। और प्रदेश के अन्दर ज्यादा निवेश आए प्रदेश की तरक्की हो और अधिक रोजगार का सृजन हो और जितना जल्दी हो सके राज्य में उद्योग धन्धे लग सकें। स्पीकर सर, इस सरकार के गठन के बाद प्रदेश में उद्योग तथा कृषि में एक नई क्रान्ति आई है तथा पूरा माहौल तथा फिजां बदली है। हुक्मरानों के साथ ही प्रान्तों की फिजां बदलती है। स्पीकर सर, एक समय वह भी था जब आपने भी देखा और हमने भी देखा तथा प्रान्त में एक करोड़ से अधिक लोगों ने भी देखा जब सरकार की मन्शा यह होती थी कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लूट खसोट की जाए। उस समय आतंक का सरकारीकरण कर दिया गया था। स्पीकर साहब, गुण्डागर्दी का आलम चण्डीगढ़ सचिवालयों से चला करता था और उद्योगपतियों के घरों के आगे, फैक्ट्रियों के आगे खाईया खोद दी जाती थीं और जब तक वे लोग एक विशेष राशि व्यक्ति विशेष को नहीं देते थे तब तक उनके उद्योग-धन्धों को चलने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रथा तथा तौर तरीकों को बदला है और हमने नई रवायतें डाली हैं और एक पारदर्शी तथा ईमानदार सरकार का गठन हुआ है। और इसी प्रथा के चलते हम एक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

पारदर्शी बिल लेकर आए हैं। हरियाणा में जहां कहीं किसी भी प्रान्त में भी कोई उद्योगपति चाहे वह राष्ट्रीय स्तर से आए या अन्तरराष्ट्रीय स्तर से आए, निवेश करना चाहे कर सकता है। किसी को भी एक पैसा दिए बगैर ही उसको फटाफट क्लीयरैंस दी जाएगी। स्पीकर सर, इस बात का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है कि अगर एक विशेष सीमा के अन्दर उसको क्लीयरैंस नहीं दी जाएगी तो एक डिम क्लीयरैंस उसके सारे प्रोजैक्ट को दी गई मानी जाएगी। आज मुझे विपक्ष के साथियों से आशा थी कि इस मुद्दे पर जो कि प्रान्त की तरक्की का मुद्दा है, इस प्रान्त को आगे ले जाने का मुद्दा है, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने का मुद्दा है के बारे में वे सब आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया करेंगे और इस बिल की ताईद करेंगे लेकिन इनकी तो बाल की खाल निकालने की आदत है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Question is —

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause - 2 of Clause - 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub- Clause - 2 of Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause - 3 of Clause - 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub-Clause - 3 of Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses - 2 to 16

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses - 2 to 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause - 1 of Clause - 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub-Clause -1 of Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Bill be passed.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा सरकार को इस बिल को लाने के लिए बहुत-बहुत मुबारिकबाद और बधाई देता हूँ। वाकई में हरियाणा में बेरोज़गारी और आर्थिक पिछड़ापन का अगर सबसे बड़ा कोई कारण था तो यह था हरियाणा में इण्डस्ट्रीलाईजेशन। इस बारे में एक सच बात है कि आज पूरे संसार में बहुत नजदीकी आ गई है और आज व्यापार में तमाम रूलज और लाल फिताशाही बहुत ही क्वीक पेस से खत्म की जा रही है उसमें आज हरियाणा इस बिल को लाए बिना कदम से कदम मिलाकर चल नहीं सकता था। पिछली सरकार ने बहुत शोर मचाया, पूरी दुनिया में गई और सैरें करी। कभी साथ में मंत्रियों को, कभी एम०एल०एज० को, कभी आफिसर्ज को और कभी इण्डस्ट्रियलिस्टस को साथ ले गए थे। स्पीकर सर, यह लूट की इण्डस्ट्री पिछली सरकार के वक्त में थी। उस वक्त में हरियाणा में कोई दूसरी इण्डस्ट्री नहीं आई थी। सच बात तो यह है कि जो यहां पर हजारों उद्योग थे वे इनकी लूट के कारण से हरियाणा से प्लायन कर गए और इन्होंने जो अपराधों को हरियाणा में एन्क्रेज किया उस कारण से भी उद्योग प्लावन कर गए थे। अब स्टेट में परोपर वातावरण बना है, लोगों का विश्वास और इण्डस्ट्रियलिस्ट का विश्वास सरकार में और इस प्रान्त के लोगों में दोबारा से बना है। इस समय में यह बिल लाना बहुत ही एप्रिशिएबल है। यह बिल बहुत ही अच्छे समय में लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिल में एक तो यह नहीं बताया गया है कि जो तीन टायर कमेटीज बनेंगी जैसे हाई पावर्ड कमेटी है, स्टेट की कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी है तो इनके कौन लोग मैम्बर्ज होंगे, कौन लोग इनके चेयरमैन होंगे क्योंकि हमको इस बात का खदशा है कि अगर इनके मैम्बर्ज और चेयरमैन अफसरशाही के लोग ही हुए तो फिर लालफीताशाही को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकेगा। मैं समझता हूँ कि टैक्नीकल लोग, डिपार्टमेंटल सैक्रेट्रीज और कंसर्ड ओफिसर्ज इन कमेटी के मैम्बर्ज होने बहुत जरूरी हैं लेकिन ऐक्चुअल में पूरी कमेटी की जो लगाम होगी, जो इनका स्टैयरिंग होगा वह किन लोगों के हाथ

[श्री एस० एस० सुरजेवाला]

में होगा? मैं यह भी चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें तो वे हाउस को इस बारे में अवगत करवाएं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई दफा इस बिल की तीन चार क्लॉज पढ़ी हैं क्योंकि मैं खुद इनको समझना चाहता था लेकिन हो सकता है कि मैं इनको समझ नहीं सका हूँगा। इसमें हर क्लॉज में एक ही बात आयी है। मैं इस बिल की एक क्लॉज को पढ़ देता हूँ। स्पीकर सर, इस बिल के चैपटर II की Clause 2 (V) में लिखा है कि—

> "The member of the Committee shall Personally attend the meeting and in case he is unable to attend the meeting, he may depute a senior level officer to attend the meeting with a written authorization to take appropriate decision in the meeting."

यह बहुत जगह आया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, हाई पावर्ड लेवल पर भी कि the memebr of the Committee. A member of the Committee होता तो ऐप्लीकेबल हो सकता था बहुत से आफिसर्ज के लिए भी और बहुत से लोगों के लिए भी। The member of the Committee is a particular person. वह कौन हैं यह जरा मुख्यमंत्री जी जवाब देते वक्त इस पर रोशनी डालने की कोशिश करें। बाकी इस बिल के बारे में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जी और अधिकारी भी विदेश जाकर आये हैं और बहुत सी कम्पनियों जैसे कोरिया और जापान की कम्पनीज हैं उनसे वे जो बड़ा वायदा लेकर आये हैं वह बहुत एनकरेजिंग है। इसके अलावा उनकी यहां पर भी पिछले दो चार महीनों में इस बारे में काफी मीटिंग्ज हुई हैं। इस सरकार के आने के बाद काफी विदेशी लोग स्टेट में इन्वैस्टमैंट करने के लिए आये भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही उत्साहजनक बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें और डिले की जरूरत नहीं है। सारी फार्मेलिटीज और लालफीताशाही को ड्रैस्टिकली कट करना ही चाहिए और एन्टरपिनयोर को एनकरेज करना चाहिए। इसी से हरियाणा की बढ़ती हुई बेरोजगारी दूर होगी, इसी से हरियाणा का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा और दिमाग में रोशनी आएगी। मुझे उम्मीद है कि परमात्मा हमारे सज्जे हाथ बैठने वालों को भी रोशनी देगा।

श्री नरेश यादव (अटेली) : आनरेबल स्पीकर साहब, यह जो इण्डस्ट्रियल प्रमोशन बिल आज हाउस में लाया गया है इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे दक्षिणी हरियाणा में अहीरवाल क्षेत्र में महेन्द्रगढ़ जिले को मोस्ट बैकवर्ड घोषित किया हुआ है। पिछले विधान सभा सत्र में भी इस बारे में काफी बहस हुई थी। तब हमारे उद्योग मंत्री ने यह कहा था कि महेन्द्रगढ़ जिले की डिवैल्पमैंट की जाएगी और वहां पर इस बारे में एक सर्वे करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने सुझाव दिया था कि अटेली के नजदीक लगता हुआ बहरोड़ जिले का जो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है यह हमारे जिले की सीमा से केवल सात किलोमीटर की दूरी पर ही है। आज वहां पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रियललाइजेशन हो रही है और सैकड़ों बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री वहां पर लग चुकी हैं। हमारा इलाका भी वहां पर साथ लगता हुआ ही है। हमारा सारा जिला उससे घिरा हुआ ही है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जिला महेन्द्रगढ़ में भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे? क्या कोई ऐसी स्कीम बनायी जाएगी कि जब इंडस्ट्रियलिस्टस नीमराणा में जाएं तो वे यह भी सोचें कि नीमराणा के नजदीक जो नांगल चौधरी, अटेली मंडी या नारनौल का एरिया है वह इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अच्छा है और वे वहां पर भी अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रोत्साहित हों, क्या कोई ऐसा

प्रावधान मुख्यमंत्री जी करवाएंगे कि लोग अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में जाएं जिससे वहां के हमारे लोगों को रोजगार मिलें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन इसके बारे में 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ क्योंकि बिल के आने से यह ठीक है कि प्रदेश का बहुत आर्थिक लाभ भी होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और पिछले पांच सालों में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां से चली गई, कोई भिवाड़ी चला गया, कोई बद्दी चला गया और कोई नालागढ़ चला गया और ऊपर का दिखावा यह होता रहा कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन अब वाकई में इसे कानून की शक्ल दे दी है और यह जाहिर हो गया है कि सरकार इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगी, लेकिन इसके लिए मेरा सुझाव यह भी है कि एक तो जो एरिया अलरेडी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर्ड हैं उनको ज्यादा इंसैंटिव दिए जाएं ताकि उन एरियाज की डिवैल्पमैंट हो। दूसरी बात मैं नौकरियों के बारे में कहना चाहता हूँ जौब्स तो आएंगी और फाइलें क्लीयर करने के लिए सारा प्रावधान कर दिया, सब कुछ मिलेगा, सभी तरह की असिस्टैंस मिलेगी, फाइनैंशियल असिस्टैंस मिलेगी, लेकिन कम से कम जो नॉन टैक्नीकल जौब्स हैं वह हरियाणा के ही डौमिसाइल्स को मिलनी चाहिएं, बाहर के लोगों को न मिलें इससे हरियाणा के बेरोजगार नवयुवकों का भला हो सकता है। यह मेरा सुझाव है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कमेटी के बारे में पूछा है और उसके कांस्टीच्यूशन के बारे में पूछा है। अगर इस ऐक्ट का 2 (के) देखा जाए तो उसके अंदर यह प्रिस्कराइब किया है prescribed means, prescribed by rules made under the Act. इस कमेटी का गठन रूल्ज के अंदर किया जाएगा मोटे तौर पर सेल्ज का प्रारूप तैयार किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस को और मैंबर साहेबान को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टैक्नीकल ऐक्सपर्ट्स और जिम्मेदार ऑफीसर्ज इस कमेटी के अंदर आएंगे। पूरी पारदर्शिता इसकी फंक्शनिंग में होगी। कहीं कोताही की गुंजाइश हम नहीं छोड़ने वाले। जहां तक इसके स्टेयरिंग का सवाल है इसका स्टेयरिंग चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में है और वह ठीक चलेगा। माननीय सदस्य श्री नरेश यादव ने दक्षिणी हरियाणा के बारे में पूछा है मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसका इस प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल ही अभाव है। इसका इरादा आपके उद्योगों को आगे जाकर राजस्थान में न जाने देने का है। हम उनको थोड़े समय में पारदर्शिता से ईमानदारी से यहीं पर सुविधायें देंगे तो कोई कारण नहीं है कि बड़े उद्योग आपके इलाके को छोड़कर आगे जाएंगे। अगला फोकस पूरी सरकार का चाहे पानी का मामला है, चाहे बिजली का है, चाहे उद्योग धंधों का मामला है, उसका हमारा केन्द्रबिंदु दक्षिणी हरियाणा है और आप आश्वस्त रहें, आप अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में परिवर्तन देखेंगे, जमीनी स्तर पर भी, रोजगार के सृजन में भी और निवेष के अंदर भी परिवर्तन देखेंगे। माननीय श्री धर्मपाल सिंह मलिक ने इसके अलावा बैकवर्ड क्लॉसिज एरियाज को इंसैंटिव देने की बात कही है। मेरी जानकारी के मुताबिक बताना चाहूँगा कि एल०ए०डी०टी० और वैट दोनों को अभी भी कुछ इंसैंटिव हरियाणा की सरकार बैकवर्ड क्लासज एरिया को देती है। हमारी इण्डिस्ट्रियल पॉलिसी की कॉपी मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा ताकि माननीय सदस्य इसकी पूरी जानकारी ले सकें। चौधरी धर्मपाल मलिक ने हरियाणा के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजन की बात कही है यह हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है और जो इन्होंने केवल नॉन टैक्नीकल जौब्स की बात कही है, केवल नॉन टैक्नीकल ही नहीं टैक्नीकल जौब्स भी दी जाएंगी। एजूकेशन सिटी का गठन आपकी सरकार कर रही है। अलग-अलग शिक्षण संस्थानों का जो प्रसार है वह यह सरकार

कर रही है ताकि हमारे यहां के बच्चे टैक्नीकल पोस्ट और नॉन टैक्नीकल पोस्ट दोनों में अव्वल आएं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन उद्योगों के अंदर काम हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि यह बिल पारित कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

*16.45 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 15th December, 2005.

40815—HVS—H.G.P., Chd.